मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

इस्लाम की श्रेष्ठता के लिए

"इस्लाम को इस समय नए ख़ून, नई उमंगों, नए वलवले और नए जोश–ए–अमल और कुर्बानी के जज़्बे की ज़रूरत है। यह नया ख़ून, नया जोश और कुर्बानी बहुत सी जगह मौजूद है लेकिन ओछे मक़सदों और ग़लत मैदानों में ख़र्च हो रही है। जो चीज़ इस्लाम के काम नहीं आ रही है, वह सिर्फ़ बेकार नहीं हो रही है बल्कि दुनिया की तबाही की वजह हो रही है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस्लाम को उन क़ौमों और तबक़ों तक पहुंचाकर इस्लाम की ताक़त और ईमान की उन कैफ़ियतों का तमाशा देखें जो हमें दुनिया के इतिहास में नवमुस्लिमों के जीवन में इस्लाम की सच्चाई और रसूलुल्लाह (स०अ०) की रिसालत व इमामत पर इस दर्जे का यक़ीन, ज़ात–ए–नबवी के साथ वह इश्क़ व मुहब्बत और इस्लाम की बरतरी के लिए ऐसी जद्दोजहद और सरफ़रोशी देखने में आएगी जिसके सामने हम पुश्तैनी मुसलमानों को शर्म आएगी और जिसकी मिसाल सदियों से देखने में नहीं आयी होगी।"

हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह0)

JULY 19

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल नदवी
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

₹ 10/-

कफ़न-दफ़न के वक़्त मोमिन का ऐज़ाज़

''अम्र बिन दीनार सहाबी (रज़ि०) से रिवायत है कि जब इन्सान मरता है तो उस मैयत की रूह एक फ़रिश्ते के हाथ में रहती है और वह अपने जिस्म को देखता रहता है कि उसे गुस्ल क्यों दिया जाता है, उसे कफ़न क्यों पहनाया जाता है और उसे क्यों लेकर चलते हैं, और मैयत अभी तख़्ते पर ही होती है कि फ़रिश्ते उससे कहते हैं कि सुन ले अपना ज़िक्र–ए–ख़ैर जो लोग कर रहे हैं।''

मानो हर मंज़िल पर नहीं, हर क़दम पर एक नया लुत्फ़, नई तफ़रीह, नई सैर, जिस्म के क़ैद की तीलियां टूटते ही रूह का परिन्दा आज़ाद होकर किन–किन खुशियों के मज़े उठाने लगता है?किन–किन लज़्ज़तों को पाने लगता है?रहमत के फ़रिश्ते की आग़ोश बजाए ख़ुद भी कितनी बड़ी नेमत होती है, दुनिया का कोई सा भी लुत्फ़ और कोई सा भी आराम इसका मुक़ाबला कर सकता है?और फिर यह सारा पुरलुत्फ़ मंज़र, तबियत के नशात के कैसे–कैसे अनोखे और पुर कैफ़ नज़ारे पेश करता जाता है और मुसलमान की क़ाबिले सद रश्क़ मैयत मानो जन्नत में दाख़िल होने से पहले ही जन्नत में दाख़िल हो जाती है। अल्लाह तआला वह दिन और वह घड़ी हम सबके लिए मुबारक करे।

आसमान में मोमिन की महबूबियत

''हज़रत अनस सहाबी (रज़ि०) से रिवायत है कि नबी करीम (स०अ०) ने फ़रमाया है कि हर इन्सान के लिए आसमान में दो दरवाज़े हैं। एक वह जिससे उसके आमाल (ऊपर) चढ़ते हैं, दूसरा वह जिससे उसका रिज़्क़ (नीचे) उतरता है। जब मोमिन बन्दा मरता है तो वह उस पर रोते हैं।''

मोमिन बन्दा दुनिया में किसी छोटे से छोटे मर्तबे वाला भी हो, बहरहाल अपने परवरदिगार के यहां नाक़ाबिले इल्तिफ़ात नहीं रहता और कस्मपुर्सी में नहीं पड़ा रहता। परवरदिगार का ताल्लुक़ अपने बन्दे से उसकी जिन्दगी भर हमा वक़्ती क़ाएम रहता है। एक ताल्लुक़ उसके नेक आमाल को आसमान की बुलन्दी पर पहुंचाने वाला और दूसरा उसके रिज़्क़े मक़सूम को ज़मीन पर लाने वाला और मोमिन की वफ़ात के वक़्त उन दोनों ताल्लुक़ वाले दरवाज़े उस पर ग़म व मातम करते हैं। अल्लाह! अल्लाह! किस दर्जे एहतिमाम व इकराम हर मोमिन के लिए आलमे मलकूत में भी रहता है।

हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रह०)

بسم الله الرحمن الرحيم

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक:७ | जुलाई २०१९ ई० | वर्ष:११

संरक्षक

हज़रत मौलाना
सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी
(अध्यक्ष - दारे अरफ़ात)

सम्पादक

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

सम्पादकीय मण्डल

मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी
अब्दुस्सुबहान नाखुदा नदवी
महमूद हसन हसनी नदवी

सह सम्पादक

मो० नफ़ीस ख़ाँ नदवी

अनुवादक

मोहम्मद सैफ़

मुद्रक

मो० हसन नदवी

इस अंक में:

लोकतन्त्र ख़तरे में!.....२
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

देशप्रेम का आशय.....३
हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०)

इस्लामी चिन्तन की कमी.....५
मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह०)

त्याग व समानता क्या है?.....७
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

उम्मत के इख़्तिलाफ़: कारण तथा हल.....१०
अब्दुल हकीम हिजाज़ी

ज़कात के विभिन्न मसले.....१२
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

अपमानित क़ौम.....१५
अब्दुस्सुब्हान नाखुदा नदवी

नुबूव्वत के बाद मआश–ए–नबवी (स०अ०).....१७
मुहम्मद अरमुग़ान नदवी

इस्लाम का पतन तथा उसके कारण.....१९
मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी

E-Mail: markazulimam@gmail.com | www.abulhasanalinadwi.org

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल–नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली,यू०पी०.229001

प्रति अंक 10रू

मो० हसन नदवी ने एस० ए० आफसेट प्रिन्टर्स, मस्जिद के पीछे, फाटक अब्दुल्ला खाँ, सब्ज़ी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से छपवाकर आफिस अरफ़ात किरण,मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल–नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

वार्षिक 100रू०

Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi Samiti (Punjab National Bank) A/c No. 6127002100000339 (IFSC: PUNB0612700)

सम्पादकीय

लोकतन्त्र ख़तरे में!

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

इस समय देश को जिस प्रकार उग्रवाद की ओर ढकेला जा रहा है, यदि इस ओर ध्यान न दिया गया तथा हर प्रकार के सम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर इसको रोकने की भरपूर कोशिश न की गई तो कोई ताक़त देश को तबाही से नहीं बचा सकती है। यह उन लोगों की बड़ी भूल है जो यह समझते हैं कि वे किसी को तबाह करके जो चाहेंगे वह करेंगे। यह देश हमेशा से विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों का गुलदस्ता रहा है। हर किसी को हमेशा यहां अपने धर्म तथा अपने विचारों पर चलने की आज़ादी रही है। मुसलमानों के शाही निज़ाम में भी उन्होंने कभी हिन्दुओं या दूसरे धर्म के मानने वालों पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि उनको अपनी व्यवस्था में शामिल किया। इतिहास में इसकी न जाने कितनी मिसालें मौजूद हैं। आज लोकतन्त्र के नाम पर जिस तरह लोकतन्त्र तथा क़ानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वह पूरे देश के लिए ख़तरे की घंटी है।

हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह0) कहते थे कि जब आग को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह अपने आप को खाती है। ज़ुल्म व अत्याचार का जब स्वभाव बन जाता है तो ज़ुल्म करने वाला अपने घर वालों पर ज़ुल्म करता है। इस समय देश में विभिन्न जगहों पर भीड़ द्वारा हिंसा की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। यह आग अगर बढ़ती गई और इसको बुझाने की चिन्ता न की गई तो कोई इससे अपने आप को बचा न सकेगा और पूरा देश इस आग और गृहयुद्ध का शिकार हो जाएगा।

हमारा देश तीन बुनियादों पर स्थापित है। धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा तथा लोकतन्त्र और इस समय यह तीनों बुनियादें ख़तरे में हैं। देश के शुभचिन्तकों तथा सच्चे प्रेमियों की इस समय बड़ी ज़िम्मेदारी है। उनका संबंध जीवन के किसी भी हिस्से से हो, इस समय यदि वे आगे न आए और उन्होंने अपनी पूरी ताक़त न लगा दी तो हालात ऐसे हो सकते हैं कि फिर शायद उसको संभालना मुश्किल हो जाए।

सच्ची बात यह है कि मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए देश को नीलामी की मंडी पर चढ़ा देना चाहते हैं। अधिक संख्या आज भी उन लोगों की है जो इन्सानियत का दर्द रखते हैं। इन्सानों से मुहब्बत करते हैं। ऐसे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। लोगों को संदेश देने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों का हाथ पकड़ लेने की आवश्यकता है जो देश को ग़लत दिशा में ले जा रहे हैं। इस वक़्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि ख़तरों को सामने लाया जाए और उनसे बचने के उपाय किए जाएं। बुराइयों को दूर करने की कोशिशें की जाएं और कम से कम बुराइयों को बुरा कहा जाए।

बात यह है कि आज समस्या न हिन्दु की है न मुस्लिम की, न किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की, समस्या मानवता की है, उन वास्तविक नियमों से प्रेम का है जिनसे मानवता का भ्रम बना हुआ है। जिनसे एक ताक़तवर समाज सर उठाकर चलता है। और वह समझता है कि उसके पीछे इन्सानियत की ताक़त है, जिसमें न अमीर व ग़रीब का फ़र्क़ है, न कमज़ोर और ताक़तवर का। उसकी इन्सानियत उसकी सुरक्षा के लिए काफ़ी है।

एक आज़ाद और लोकतान्त्रिक देश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां के नागरिकों को वास्तविका स्वतन्त्रता प्राप्त हो। मन की बात कहने का हक़ सबको हो और साफ़ मन के साथ इन्सानियत का दर्द लेकर देश आगे बढ़े। क़ुदरत ने इस देश को इस तरह के ख़ज़ानों से मालामाल किया है। इसकी सबसे बड़ी दौलत मुहब्बत है जो इसकी आत्मा में रची–बसी है, इन्सानी हमदर्दी है, जिसकी घटनाएं देश के इतिहास का सुनहरा अध्याय हैं, इस निरन्तरता को हमें हर क़ीमत पर बाक़ी रखना है, ताकि यह देश अपने बुनियादी उसूलों से हटने न पाए, जिस पर इसको स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों और इसकी राह में ख़ून का आख़िरी क़तरा बहाने वालों ने डाला था।

देशप्रेम का आशय

हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०)

मुल्क और अहले मुल्क की तवानाई क्यों ज़ाया की जा रही है?मुल्क और अहले मुल्क की ज़िन्दगी का एक–एक लम्हा क़ीमती है। मुल्क की तामीर और तरक़्क़ी के लिए यह ज़रूरी है कि ग़ैर ज़रूरी ज़हनी इन्तिशार, बदगुमानी और ख़ौफ़ की फ़िज़ा ख़त्म की जाए। कोई मुल्क इस तरह तरक़्क़ी नहीं कर सकता कि उसकी आबादी के मुख़्तलिफ़ अनासिर में अपने मुस्तक़बिल के बारे में शुकूक व शुब्हात हों। और इससे बढ़कर मुल्क के लिए बदख़्वाही नहीं हो सकती कि वह तवानाई जो मुल्क की सालिमियत, उसकी हिफ़ाज़त और तामीर व तरक़्क़ी में ख़र्च होनी चाहिए थी, वह शुकूक व शुब्हात को रफ़अ करने में या शुकूक व शुब्हात की फ़िज़ा में ज़िन्दगी गुज़ारने में ख़र्च हो। मैं एक क़दम आगे बढ़कर कहता हूं कि अगर हम अंदेशा में मुब्तिला हों कि हमारी आइन्दा नस्ल हमारी तरह उन चीज़ों की मोतक़िद और उन पर यक़ीन करने वाली नहीं होगी जिन पर हम एतमाद रखते हैं। और जो हमारे लिए ज़रूरी हैं तो मुसलमानों के अन्दर एक तज़बज़ुब और अन्दरूनी इन्तिशार की वह कैफ़ियत पैदा होगी जो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए मुज़िर नहीं, मुल्क के लिए भी मुज़िर है। यह हरगिज़ दानिशमंदी की बात नहीं है कि जब मुल्क में कोई मुसीबत नहीं आयी, कोई साइक्लोन नहीं आया है, कोई इमरजेन्सी की कैफ़ियत नहीं है, कोई आसमान से ओले या गोले नहीं गिर रहे हैं किसी ने इसलिए हमला नहीं किया है कि आप मुसलमानों के पर्सनल लॉ में बदलाव कराइये, वरना हम इस देश पर क़ब्ज़ा करते हैं। फिर इसकी क्या वजह है कि वक़्तन फ़वक़्तन यह आवाज़ बुलन्द होती रहती है कि मुस्लिम पर्सलन लॉ में बदलाव किया जाए।

हमसे कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की वहदत के लिए, सालिमियत के लिए और मुश्तरक वतनी शऊर के लिए ज़रूरी है कि एक मुश्तरक वाहिद आएली क़ानून (यूनिफ़ार्म सिविल कोड) नाफ़िज़ हो, तो मैं एक सीधी बात पूंछता हूं, स्कूल का बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है कि पहली जंगे अज़ीम जो हुई थी वो अस्लन इब्तदाए बर्तानिया और जर्मनी के दरमियान हुई थी। जर्मन और अंग्रेज़ दोनों न सिर्फ़ यह कि क्रिस्चियन हैं, बल्कि प्रोटेस्टेंट भी हैं, और उनका आइली क़ानून बिल्कुल एक है। यह कोई भी शख़्स मालूम कर सकता है कि जहां तक ईसाई क़ानून का ताल्लुक़ है एक है, फिर यह दोनों दुश्मनों की तरह क्यो लड़े? अगर यूनिफ़ार्म सिविल कोड जंग को रोक सकता है और नबरदआज़माई और तसादुम से बाज़ रख सकता है तो उसको वहां रोकना चाहिए था, फिर दूसरी जंगे अज़ीम का भी यही हाल था कि क्रिस्चियन और प्रोटेस्टेंट जिनकी तहज़ीब भी, आएली क़ानून भी बल्कि मुआशरत भी एक है, वह इस तरह से लड़े जैसे एक–दूसरे के ख़ून के प्यासे हों, आप अदालतों में जाकर देखिए जो मुक़द्दमें आते हैं, मुसलमान मुसलमान के ख़िलाफ़ मुद्दई हैं, मुसलमान मुसलमान का मुद्दआ अलैह हैं, और मुसलमान मुसलमान की इज़्ज़त को ख़ाक में मिला देना चाहता है। उसके घर पर हल चला देना चाहता है, उन दोनों का आएली क़ानून भी एक है, बाज़ औक़ात तो ख़ून भी एक होता है, दोनों फ़रीक़ एक नस्ल, एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, दर हक़ीक़त इख़्तिलाफ़ात और दुश्मनियों का ताल्लुक़ नफ़सियात से, दौलत परस्ती के जुनून से है, नफ़्स परस्ती और मादिदयत से है, उस ग़लत निज़ाम और निसाबे तालीम से है जिसने अख़लाक़ियात को यक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया है। उसका ताल्लुक़ हरगिज़ आएली क़ानून के इख़्तिलाफ़ात से नहीं है। यह मैं डंके की चोट पर कहता हूं और चैलेंज करता हूं

कि आएली क़ानून के एक हो जाने से अख़लाक़ी सूरतेहाल में क़तअन एक ज़र्रे का फ़र्क़ नहीं पड़ेगा, फिर क्यों बार–बार इसका हवाला दिया जाता है कि यूनिफ़ार्म सिविल कोड होना चाहिए ताकि आपस में इत्तिहाद और उलफ़त पैदा हो।

जानने वाले जानते हैं कि मेरा इस गिरोह और ख़ानदान से ताल्लुक़ है जिसने सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलमे जिहाद बुलन्द किया और बेश अज़ बेश हिस्सा लिया। कलकत्ता कि यह सरज़मीन ख़ास तौर से उसकी शहादत देती है कि वह ईमानी क़ाफ़िला हिजाज़ जाते हुए यहीं से गुज़रा था। इसी ख़लीजे बंगाल से रवाना हुआ था और अपने मुस्तक़र से यहां तक ईमाने तौहीद व सुन्नत और दीनी हमीयत की रोशनी फैलाता हुआ आया था। उसी ने सारे हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद की सूर फूंक दी। कुरआन कहता है कि तुम्हें अस्बितय और बुग्ज़ इस पर आमादा न करे कि तुम इंसाफ़ का दामन हाथ से जाने दो और तास्सुब व हक़ पोशी से काम लो।

(और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न करे कि इंसाफ़ छोड़ दो, इंसाफ़ किया करो कि यही परहेज़गारी की बात है)

अंग्रेज़ इस बारे में ज़्यादा हक़ीक़त पसंद थे। उन्होंने जब हिन्दुस्तान में हाकिमाना तरीक़े पर क़दम रखा तो उन्होंने अच्छी तरह यह समझ लिया कि मुसलमानों और हिन्दुओं के आएली क़ानून में दख़ल नहीं देना चाहिए। उनको इसमें आज़ाद रखना चाहिए। इसी के नतीजे में हिन्दुस्तान में मुहम्डन लॉ का इतना बड़ा काम हुआ। इसी कलकत्ता की सरज़मीन पर और ख़ास तौर पर यादिश बख़ैर राइट आनरेबुल जस्टिस सैयद अमीर अली के हाथों और सर अब्दुर्रहीम वग़ैरह के ज़रिए हुआ। अंग्रेज़ों ने दो काम बड़ी अक़्लमंदी के किए। उन्होंने इस बात को पा लिया कि बेज़रूरत जज़्बात को मजरूह नहीं करना चाहिए और मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहिए। यह एक ऐसी क़ौम का तर्ज़े अमल होता है जो हुक्मरानी का तर्जुबा रखती है। उन्होंने दो बातें तय कि एक तो यह कि आएली क़ानून और मज़हब में मदाख़लत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि निज़ामे तालीम सेक्यूलर होना चाहिए कि बिल्ली कुत्ते के किस्से पढ़ाओ मगर किसी दूसरे मज़हब की तलक़ीन न करो। हमने इंग्लिश प्राइमर और रीडरें पढ़ीं थी, इनमे शुरू से आख़िर तक यह देखा कि जिन्नों और भूतों और प्रेतों तक के क़िस्से अफ़साने आए, जानवरों तक के क़िस्से आए लेकिन कहीं यूनानी रोमन देवमाला की बात, किस्चियन मेथालोजी की बात नहीं आयी। उसका नतीजा यह हुआ कि एक इत्मिनान की कैफ़ियत रही। वह बुनियादे दूसरीं थीं जिन बुनियादों पर हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने और दूसरे अनासिर ने मिलकर यहां गुलामी के जुए को अपने सर से उतार फेंक दिया और जंगे आज़ादी लड़ी। इन दोनों दानिशमन्दाना फ़ैसलों ने उनकी हुकूमत की बक़ा में मदद की और उसकी मुद्दत को दराज़ किया वरना मैं आपको यक़ीन दिलाता हूं, अपने तारीख़ के मुताले की रोशनी में कहता हूं कि जो वाक़्या 1857 ई0 में पेश आया वह 1857ई0 में पेश आ सकता था और पेश आना चाहिए था और 19वीं सदी के बिल्कुल शुरूआत में पेश आना चाहिए था। यह सौ बरस से ज़्यादा जो उन्होंने यहां इत्मिनान से हुकूमत कि उसमें उनकी दानिशमंदी को दखल है कि बाशिन्दगाने मुल्क की मज़हबियात में, उनके आएली क़ानून में दख़ल न दो। उनके निज़ामे तालीम में दखल न दो। उनको सेक्यूलर तरीक़े पर पढ़ाओ और अपने मज़हब के मुताबिक़ ही अकीदा रखें, अमल करें। मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि मुसलमान अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरई आएली क़ानून) में तब्दीली कुबूल कर लेंगे तो आधे मुसलमान रह जाएंगे और उसके बाद ख़तरा यह कि आधे मुसलमान भी न रहें। फ़लसफ़ा–ए–अख़लाक़, फ़लसफ़ा–ए–नफ़सियात और फ़लसफ़ा–ए–मज़ाहिब का मुताला करने वाले जानते हैं कि मज़हब को अपने मख़सूस निज़ामे मुआशिरत व तहज़ीब से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों का ऐसा फितरी ताल्लुक़ और राब्ता है कि मुआशरत मज़हब के बग़ैर सही नहीं रह सकती और मज़हब मुआशरत के बग़ैर मुअस्सिर व महफ़ूज़ नहीं रह सकता। .....शेष पेज 14 पर

इस्लामी चिन्तन की कमी

मौलाना सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह०)

वर्तमान युग का सबसे बड़ा तथ्य यह है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों से दुनिया में पल्ला झाड़ रखा है और इसका नतीजा यह है कि हमारा काम दूसरों ने शुरू कर दिया है और जब हमारा काम दूसरों ने शुरू कर दिया तो वह कमी हमारे घर में भी आ गई। मैं एक उदाहरण देता हूं कि आज जो कुछ भी कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, उसमें कई ऐसे विज्ञान हैं जिन्हें पढ़ने की आवश्यकता है, जैसे कि डाक्टरी, मुसलमानों के लिए डॉक्टरी पढ़ना महत्वपूर्ण है, ताकि वे इलाज कर सकें। ऐसे कई धार्मिक मुद्दे हैं जिनमें मुसलमान डॉक्टर का ही फ़ैसला माना जाता है। इसलिए ऐसी सूरत में मुसलमानों को डॉक्टर भी होना चाहिए। उसी तरह कई मुसलमानों को इंजीनियर भी होना चाहिए, और कई मुसलमानों को वैज्ञानिक अध्ययन भी करना चाहिए। वास्तव में, हमारी असली जिम्मेदारी यह थी कि आज जो भी विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, हमें उनकी सरपरस्ती करनी चाहिए और जो वैज्ञानिक विद्या हैं, हमने उन्हें मुसलमान कर लेते, ताकि वे समाज में अच्छा प्रभाव डाल सकें। लेकिन हम और आप घरों में बैठ गए और इन सभी क्षेत्रों को छोड़ दिया। भले ही लोगों ने इन चीजों को अपनाया हो और जब अन्य लोगों ने इसे अपनाया है, तो उन्होंने अपने ग़ैरपन और बेजा तौर पर घटा–बढ़ा कर अपनाया है, जिसके परिणामस्वरूप आज डिग्रियां सेवा के नाम पर वितरित की जा रही है, लेकिन डॉक्टर लूटने वाले बन रहे हैं और दूसरे डिग्री धारकों की भी यही स्थिति है कि वे अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

एक साहब से, मुझे पता चलता है कि एमबीए में क्या किया जाता है?उन्होंने कहाः यह मूल रूप से एक प्रशिक्षण है जो आपको दो सौ रुपये में दो रुपये की साधारण चीज़ बेचना सिखाता है। हमने कहाः यदि यह ज्ञान मुसलमानों की मातहती में दिया जाता है, हम और आप उसके जिम्मेदार होते तो यही एमबीए सभी मुसलमानों के लिए अच्छा होता। क्योंकि इस्लाम में किसी की जेब नाहक़ ख़ाली कराने की अवधारणा नहीं है। इस्लाम कहता है कि आप दूसरों को लाभान्वित करते हैं और खुद को लाभान्वित करते हैं, न कि नुकसान आप को पहुँचें या आप नुकसान पहुचाएँ। किसी को चोट न पहुंचाएं या खुद को चोट न पहुचांएं। लेकिन इन अध्ययनों के मुसलमानों के किनारा करने के कारण आज उन लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया है। वे सब वही हैं, वे यह भी समझते हैं कि चोरी कैसे की जाती है, कैसे मूर्ख बनाया जाता है, जब सभी काम देश के लिए बेहद हानिकारक होते हैं, और यही कारण है कि वर्तमान समाज दमन और भ्रष्टाचार के अंत तक पहुँच गया है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमान होने के नाते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो जानता है और नहीं जानता है, वे दोनों समान नहीं हो सकते हैं, आप जानते हैं कि यह काम इस तरह किया जाएगा, लेकिन आप वह काम नहीं करते तो यह आपकी कमजोरी और नालायक़ी है। और आपके पास जिम्मेदारी छोड़ने की बीमारी है। इसका परिणाम यह होगा कि वही व्यक्ति वह काम करेगा जो अनाड़ी होगा। यह स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति अनाड़ीपन से वह काम करेगा और बड़ी तबाही मचा देगा।

इस्लाम यह विचार है कि आप अपने देश को फ़ाएदा पहुंचाएं, सभी को लाभान्वित करें अपनों और ग़ैरों सभी को। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें और सभी के साथ अच्छा मामला करें और विभिन्न प्रकार के कामों के लिए इसकी जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करें। इसके अलावा, जब हमारे पास सीमित सीमाएं हैं, हमने अस्पतालों की स्थापना की है, कॉलेजों की स्थापना की है, और इसके माध्यम से हमने अपना विश्वास बनाना शुरू किया, हमारे ईमान का रस चूसना शुरू किया, और हम संतुष्टि में बैठ गए, और अपने बच्चों को उनकी देखरेख में भेजते रहे। हमारी नाखुश संतुष्टि का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने हमारी नई पीढ़ी से ईमान का रस चूसा लिया और अन्दर से हमें खोखला कर दिया और इससे भी अधिक असहज, हम अभी भी इस स्थिति का सामना कर रहे हैं, जब हमारी जिम्मेदारी हमारे पर्यवेक्षण में यह सब काम करना था, ताकि नई पीढ़ी का विश्वास सुरक्षित ही न रहे, बल्कि मजबूत बने। इस्लामी इतिहास हमें बताता है कि सेवा दल का कोई भी काम, चाहे वे

अस्पतालों के रूप में हो या कॉलेज में, वे सभी मुसलमान थे, आपको पता होगा कि मुस्लिम राजाओं का इतिहास दो किलोमीटर पर एक सराए बनवाई, एक हास्पिटल बनवाया, कुवां खुदवाया और जगह–जगह पानी का इन्तिज़ाम किया में विभाजित होगा। एक अस्पताल बनाया, अच्छी तरह से पकाया और पानी का प्रबंधन किया। लेकिन अब स्थिति इसके विपरीत है, अब ये चीजें दूसरे कर रहे हैं, और हम हाथों पर हाथ रखे हुए हैं।

आज हम मुसलमानों के दिल व दिमाग़ में यह ख़्याल बैठ गया है कि केवल खाना कमाना हमारा काम है। हालाँकि यह काम सिर्फ जानवरों का था, हजरत मौलाना अली मियां नदवी (रह0) ने "अरकान–ए–अरबा" में कहा कि हम आज केवल खाने और कमाने के लिए रह गए हैं। खाना खाने के लिए, कमाने और खाने के लिए है, इसीलिए हमारे जीवन को केवल दो स्थानों पर छोड़ दिया गया है – भोजन कक्ष से शौचालय तक जैसा कि हम सभी बहुत कुछ करते रहे हैं। सोचेने की बात है! क्या यह इंसान की बात है, मनुष्य का काम है कि वह मानवता का पाठ पढ़ाए, और कई बार उसे इस बात की चिंता होनी चाहिए कि दूसरों को कैसे फायदा पहुँचाया जाए।

दूसरों को लाभ पहुंचाने का एक निम्न उदाहरण यह है कि गर्मी के मौसम में, मस्जिद में हर कोई प्रार्थना करना चाहता है कि पंख कहाँ चल रहे हैं, उसके नीचे प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि उन्हें राहत मिल सके, अगर कोई भी व्यक्ति इनाम के इरादे से यदि आप पंखा छोड़ देते हैं, तो अल्लाह तआला ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है, क्योंकि वह दूसरों को लाभ पहुंचा रहा है।

हजरत मुजद्दिद अल्फ़े सानी (रह0) ने लिखा है कि यदि कोई किसी के साथ भोजन कर रहा है, तो उसे खाने वाले को प्राथमिकता देनी चाहिए अर्थात् व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि अपना हाथ रोक लें। इसका एक असाधारण आध्यात्मिक विकास है जो महान कार्यों के कारण नहीं है, क्योंकि एक ही समय में अच्छे इरादों के आधार पर एक नकद सौदा होता है, उदाहरण के लिएरू हमारे सामने दो चीजें हैं जो बहुत स्वादिष्ट हैं। आप दोनों तुरंत उठे और पीछे हट गए, यद्यपि यदि आप बहादुर थे और सामने वाले को पसंद करते थे, तो आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा होता था, इसलिए कई छोटे कार्य हैं जो असाधारण आध्यात्मिक लाभ हैं, इसलिए अल्लाह के अच्छे बन्दे छोटी–छोटी चीजों पर निगाह रखते हैं क्योंकि वे बड़े लोग हैं और उनकी रोशनी भी तेज है, जिसके आधार पर वे छोटी–छोटी चीजों को भी देखते हैं।

आज, यह आवश्यक है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) के साथ हमारे संबंध अधिक से अधिक स्थापित हों, और इसके साथ ही अल्लाह के रसूलुल्लाह (स0अ0) का कथन भी हमारे सामने होना चाहिए कि रसूलुल्लाह (स0अ0) के नमूना क्या हैं?जब हम इसके अनुसार होंगे, तो हमारी दुनिया की पूरी प्रणाली सही होगी, हर कोई इस चिंता में होगा कि दूसरों को कैसे लाभ पहुँचाया जाए। इस समय की प्रमुख बीमारियों में से एक स्वार्थ है, जाहिर है, जो व्यक्ति दूसरों को पसंद करता है उसे आध्यात्मिक विकास प्राप्त होगा, अल्लाह सर्वशक्तिमान इसे असामान्य रूप से स्वीकार्य बना देगा, और इसका सबसे बड़ा उससे बड़ा होगा लेकिन इरादे को ठीक करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर मानव इरादा अच्छा नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है, फिर वह जो भी कर रहा है, कुछ भी हासिल नहीं करने वाला है, क्योंकि इरादा गलत है, इरादा हर समय अच्छा होना चाहिए। अन्यथा, अच्छे कर्म और सारी नेकी बेकार हैं, और यदि इरादा अच्छा है और अल्लाह ऐसा करने के उद्देश्य से काम कर रहा है, तो इससे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है व्यक्ति संतोष के साथ बैठा है, उससे ज्यादा मूर्ख कोई और नहीं।

आज, सबसे बढ़कर, यह आवश्यक है कि हम अपनी सोच बदलें और सही सोच बनाएं, हमारा वर्तमान यह है कि हम छोटी–छोटी बातों में उलझे रहते हैं, ताकि कोई महान काम न कर सके, साथ में न बैठें, एकता की भावना का पालन न करें, और इस्लाम को एक साथ न करें, याद रखें कि उन्हें भ्रमित करने के लिए शैतान का काम है। उसने हमें इतनी छोटी सी बात में उलझा दिया है कि बस एक चीज बची है, हम पैर खींचते रहते हैं, और उस व्यक्ति को ऐसा कुछ भी नहीं करने देते हैं, उसके रास्ते में हम ऐसे ही फंस जाते हैं। ध्यान रखें कि वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से इस्लामी सोच नहीं है। अल्लाह तआला हम सबको उम्मीद देता है और हमारी सोच को सही करता है। आमीन

क्रमवार:

त्याग व समानता क्या है?

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

दस्तरख़्वान पर त्याग: नबी (स0अ0) ने फ़रमाया:

"एक आदमी का खाना दो आदमियों के लिए पर्याप्त हो जाता है, और दो आदमियों का खाना चार मर्दों के लिए पर्याप्त हो जाता है, और आठ लोगों के लिए चार खाने के लिए पर्याप्त है।" (मुस्लिमः 2059)

नबी (स0अ0) ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ देने व खाना खिलाने में कंजूसी न करे, कोई व्यक्ति बैठकर खाना खा रहा है, जो तीन लोगों का भोजन है, इतने में और लोग भी आ गए, तो अब उसका दिल तंग न हो और वह यह नहीं कहे कि भोजन थोड़ा सा है अथवा क्या आपके आने का यह कोई समय है?आप असमय आए। इस हदीस से पता चला कि यह नहीं कहना चाहिए बल्कि सोचा जाना चाहिए कि दो का भोजन चार के लिए पर्याप्त है और तीन का भोजन छह को पर्याप्त है, और चार का भोजन आठ को पर्याप्त है। अब अगर आप पांच लोग हैं यदि आप खाना खा रहे हैं, और कुछ लोग और आ गए तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप फ़ौरन इस हदीस को याद कर लें कि हम जो खा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो यह सभी के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन बिस्मिल्ला को पढ़ना नहीं भूलना चाहिए, अन्यथा शैतान भी साथ में खाएगा। हदीस उस स्थिति में आती है जब कोई व्यक्ति बिस्मिल्लाह को नहीं पढ़ता है। उसका भोजन शैतान खाता है, वह कम खाता है, शैतान अधिक खाता है और जब कोई व्यक्ति बिस्मिल्ला से खाना शुरू करता है, तो यह उसके लिए ताक़त का ज़रिया बन जाता है। इसका एक–एक कण इसके लिए उपयोगी है और शक्ति का स्रोत बन जाता है। इसलिए व्यक्ति बिस्मिल्लाह को सुन्नत के अनुसार पढ़ते हुए भोजन करे और अपने शरीर को गले तक न भरें, क्योंकि हमें भूख नहीं है, फिर भी जब खाने की बात आती है, तो उनसे खाया जाता है। यह सुन्नत के खिलाफ है, हदीस में कहा गया है कि अगर खाना है, तो अपने पेट के तीन हिस्से करके खाएं, एक हिस्सा खाएं, एक हिस्सा पानी के लिए रखें, और अपने शरीर का एक हिस्सा रखें इसलिए कि सांस लेना मुश्किल न हो। हम लोगों का स्वभाव दूसरा है, हम कहते हैं कि हम गले तक ठूसकर खाएंगे और फिर पानी अपने आप जगह ले जाएगा, और साँस आएगी या नहीं, यह देखा जाएगा, जाहिर है यह ग़लत सोच है।

इस्लामी तरीक़ा: आदमी यह समझकर खाना खाए कि उसे पेट ठूंसकर नहीं भरना है। जब यह एक मनोदशा है, तो घटना यह है कि भोजन बहुत अच्छा है। जब भोजन तीन पुरुषों के लिए तैयार किया जाएगा, और अगर दो या तीन बाद में आ गए तो कोई समस्या नहीं है, वे भी खा लेंगे। लेकिन अगर तुम यह सोचो कि हम गले तक भर लें, तो यह एक शर्मनाक बात है। लेकिन यह आपके पेट को खाने के लिए पर्याप्त होगा और आप संतुष्ट होंगे। आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। सुन्नत के मुताबिक खाना होगा। मालूम हुआ कि पैगंबर (स0अ0) में निम्नलिखित हदीसों में उल्लेख किया गया है, यह उन लोगों के लिए है जो इस्लाम की मांगों को समझते हैं।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अल्लाह और सर्वशक्तिमान की बात अजीब है, एक हदीस में जो आती है: यानि ईमान वाला जो खाता है वह एक आंत में खाता है, मानो एक पेट में खाता है, और जो ईमान वाला नहीं होता है, दुनिया को सब कुछ समझता है, फिर वह अपने शरीर को फुलाता है, ताकि वह बढ़े है और अपना भोजन बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि वह जो भी खाते हैं वह सात गुना खाते हैं।

इस हदीस के मामले में, एक घटना यह भी बताई गई है कि एक साहब आए और ईमान लाने से पहले उन्होंने सहाबा के साथ खाना खाया और वह खाते ही चले गए, सात गिलास दूध पी लिया, और भी बहुत कुछ खाा लिया, और उसके बाद अल्लाह के नबी (स0अ0) के हाथ पर

इस्लाम लाए। फिर जब खाने के लिए बैठे तो उनके सामने एक सातवाँ हिस्सा था, जो उसी चीज से आया था जिसे पवित्र पैगंबर ने बताया था, जितना कि वे शाम से पहले खाते थे उसके मुक़ाबले में इस्लाम स्वीकार करने के बाद, जब वह खाना खा रहे थे, तब वह सातवां भाग खा रहे थे। यानि जैसे कि एक पेट में खाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब काफिर खाता है, अल्लाह का मुनकिर और बाग़ी खाता है, तो वह पूरी तरह से अस्वस्थ महसूस करता है, वह सोचता है कि वह खा रहा है और पी रहा है, दुनिया में भोजन कर रहा है, जीवित है मरना नहीं है, खाना कमाना है, और कुछ नहीं, जीवन चक्की इसी तरह चल रही है, आदमी केवल शक्ति और भोग में लगा है, और अच्छी कमाई करता है। और इसे अच्छी तरह से खाने के लिए कमाता है, क्योंकि जीवन भोजन और कमाई के बीच घूम रहा है। लेकिन विश्वास इस तरीके से नहीं रहता है, वह खाता है कि शक्ति आती है, और भगवान के बंधन में एक सुविधा है, यह उद्देश्य है, यह ईश्वर की खातिर खाता है, ताकि यह सुविधाजनक हो, शक्ति काम आएगी और काम करेगी। धर्म की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, पूजा करना करना आसान होगा, इसलिए जब विश्वास का उद्देश्य अच्छा होता है, तो वह इतना खाता है जो उसके लिए उपयोगी होता है, वह नहीं खाता है जिसे वह खाने के बाद खा सकता है और उसका जीवन आलसी होना चाहिए, पेट खराब हो जाता है, वह गिरने लगता है, यह एक व्यक्ति करता है जिसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।

ज़िन्दगी में होने वाली खराबियों का कारणः यह वास्तविकता है कि हदीस में पैगंबर (स0अ0) ने कहा, यह बिल्कुल इस अध्याय का मामला है कि आदमी तंगी महसूस न करे, बिल्कुल भी तंगी महसूस न करे, अगर वह बेडरूम में भोजन कर रहा है और वहां बैठा है, तो वह यह नहीं सोचता है यह हमारा है, अब हमारे साथ क्या होगा, असहज महसूस न करें, यह सोचें कि यह खा रहा है, यह अपनी जगह खाएगा, यह अपने प्रावधान को खाएगा, और दूसरा यह है कि जब भोजन एक आदमी का हो यदि और यदि दो हैं तो चार पर्याप्त होंगे, तो घटना यह है कि यदि हम कानून और सुन्नत पर अपने सभी मामलों को करने के लिए विचार करते हैं, तो हमारा भोजन पीना, जागना और जागना। यदि आप नहीं जानते कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप इससे छुटकारा पा सकेंगे। आज, विकृति का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने पैगंबर का रास्ता छोड़ दिया है और हम इस्लामी शिक्षाओं में संतुलन स्थापित नहीं करते हैं, हमें यहां क्या करना है, हमें क्या करना है, यह कुछ हद तक परेशान है, कहीं दूर है। यह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर जा रहा है, और ऐसा लगता है कि पहुंच के नीचे, यह मुख्य कारण है, एक तरफ और एक तरफ पूरी तरह से गंदा है।

अधिकारों की छूटः इस्लाम सिखाता है कि आप अपने जीवन को संतुलन के साथ बिताने की कोशिश करते हैं, और अपने पूरे जीवन में आपको धर्म को अपनाना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, जब आप समझते हैं कि, हर कोई सही भुगतान करेगा, और यदि यदि आप एक–दूसरे के अधिकारों को नहीं समझते हैं, तो आप केवल उस अधिकार का भुगतान करेंगे, जिस पर आप महसूस कर रहे हैं, और जो भी ऐसा महसूस नहीं करता है वह अपना अधिकार नहीं देगा, और यदि आप अल्लाह द्वारा दिए गए कानूनों को समझते हैं और एक दूसरे के बीच अंतर को समझें, फिर आप उसी के अनुसार भुगतान करेंगे, माता–पिता का अधिकार उनके स्थान पर है, पत्नी का अधिकार अपनी जगह पर है, बच्चों का अधिकार उनके स्थान पर है, और दूसरा जो पड़ोसी हैं। पत्ता जगह में है, और अल्लाह का अधिकार अपनी जगह है, इन सभी अधिकारों ने हमें भगवान के अधिकार दिए हैं, हमें इन अधिकारों को समझने की आवश्यकता है। अब, यदि हम इस अंतर को नहीं समझते हैं, तो हम विनाश के लिए जाएंगे, माता–पिता का अधिकार सर्वोच्च है, कुरान का महत्व ऊपर वर्णित है।

(जो मेरे अधिकार को पहचानता है और मेरे माता–पिता के अधिकार को पहचानता है)

आयत में अल्लाह सर्वशक्तिमान ने मुझे देने के बाद माता–पिता का अधिकार बताया है और मेरे माता–पिता पर एहसान किया है, उन्होंने आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, आपने कितनी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना किया, और आप बड़े हुए और अपनी आवश्यकताओं का ख्याल रखा। उनका आप पर इतना एहसान है कि दुनिया में किसी तरह का एहसान नहीं है, यह पता चला है कि पत्नी से ज्यादा पिता होता

है, एक बच्चे से ज्यादा माता–पिता होता है, सभी लोगों से ज्यादा यह स्थापित करने का अधिकार माता–पिता, पत्नियों, बच्चों, तब दृष्टिकोण अशुद्ध, अयोग्य भाई–बहन, और जो करीबी रिश्तेदार हैं क्यू, फिर पड़ोसियों का अधिकार।

सबसे बड़ा हक़: लेकिन सबसे पहले यह समझना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण अल्लाह है, गुलामों के अधिकार, अल्लाह ने इन गुलामों को बनाया है, माता–पिता स्रोत बन गए कि हम दुनिया में आए, लेकिन बनाने के लिए जाति कौन है?वह अल्लाह है, इसलिए उनमें से अधिकांश अल्लाह हैं, इसलिए अल्लाह सर्वशक्तिमान ने कुरान में कहा है कि तुम उनकी बात सुनो, उनकी बात मानो, और यदि वे तुम्हारी अवज्ञा करना चाहते हैं, अल्लाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे नहीं बोलेंगे, वे कहते हैं, पूजा करो, अविश्वास करो और कब्र पर पूजा करो, इसलिए मंदिर जाओ, किसी भी मूर्ति से पहले अपना माथा टेको, याद रखो कि अल्लाह सर्वशक्तिमान का अधिकार सबसे ऊपर है, यहां माता–पिता की बात नहीं होगी, वे अल्लाह के सेवक भी हैं, वह एक दास है, और हम भी अल्लाह के दास हैं, वास्तव में वह एक माता–पिता हैं और वह बहुत ऊंचे हैं, लेकिन वे अल्लाह के आदेश के खिलाफ कुछ भी कहते हैं, वे कभी कुछ नहीं कहेंगे, और यदि अगर कोई माता–पिता की खुशी के लिए प्रभु की इच्छा के खिलाफ कुछ कहता है तो वह यहां पकड़ा जाएगा, आप कौन होंगे?आपके माता–पिता कौन हैं? हमने आपको जीवन का तरीका कैसे बताया और हमने दृढ़ता से कहा कि आप हमारे साथ नहीं हैं, तो आप उसके साथ जुड़े हैं?इसके बाद आप परेशानी में थे जब आप हमारी अवज्ञा के बारे में बात कर रहे थे, तो आपके माता–पिता की क्या बात है? जाहिर है कि माता–पिता की बात नहीं होगी, लेकिन अगर माता–पिता ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो उनके शब्दों पर विचार किया जाएगा, और अल्लाह तआला ने कुरान में कहा कि अगर माता–पिता कुछ भी अवज्ञा करते हैं यदि आप कहते हैं, तो उनकी बात मत सुनो, लेकिन दुनिया में उनके साथ व्यवहार करो, उनके साथ व्यवहार करो, उन्हें चोट मत पहुंचाओ, और अगर वे अल्लाह के खिलाफ कुछ भी कहते हैं, तो उसके आदेश के खिलाफ कुछ भी ऐसा कहा जाता है कि आपको उनका अपना नहीं माना जाएगा। अल्लाह का इरशाद है: "और अगर वे आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो उनकी बात न मानें और दुनिया में उनके साथ अच्छा व्यवहार करें"(सूरह लुक़मानः 15)

अधिकारों में वरीयता की मिसालः यह उसे समझा जा सकता है, दुनिया में उसका उदाहरण बहुत छोटा हो गया है, जाहिर है, अल्लाह की स्थिति की कल्पना हमारे द्वारा नहीं की जा सकती है, और हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, अल्लाह महान है, यह महान है। नहीं, मनुष्य उतना ही बड़ा होड़ करता है, और इसलिए हम श्अल्लाह सर्वशक्तिमानश का अनुवाद करते हैं कि अल्लाह सबसे ऊंचा है, लेकिन इस पर विचार किया जाना चाहिए, उचित अनुवाद यह है कि अल्लाह सबसे ऊंचा है। मुझे ष्सभीष् नहीं डालना है, घटना यह है कि भगवान महान है, यह बहुत जबरदस्त है, कोई और नहीं है, इस संदर्भ में उदाहरण बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन समझें उनके लिए एक उपहार हैय एक तरफ, आपकी मां को कुछ कहना चाहिए और एक तरफ, एक नाबालिग लड़के का कहना है कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?क्या आप अपनी मां या प्रेमी लड़के को पसंद करेंगे, जिसका कोई विशेष संबंध नहीं है?जाहिर है कि माँ पर विचार किया जाएगा, लेकिन अगर पत्नी आपसे कुछ कह रही है और माँ उसके खिलाफ कुछ कह रही है, तो ऐसे मामले में माँ पर विचार किया जाएगा, लेकिन जब बात अल्लाह की हो न किसी की मानी जाएगी, न माँ की, न पिता की, न पड़ोसी की, न गुरु की, जिसकी आप परवाह करते हैं, चाहे वह बहुत ही व्यवहार वाला और प्रचारक हो, क्योंकि सबसे ऊपर टैक्स कलेक्टर अल्लाह सर्वशक्तिमान है, हमारा जीवन उसे दिया जाता है, जो हमारे जीवन को बचाए रखता है, वही है। देखने वाली बात यह है कि हमें इस अंतर को समझने की जरूरत है, इस अंतर को समझने की जरूरत है कि किसके पास अधिकार है और हमें इसका भुगतान कैसे करना है, अल्लाह के रसूल ने हमें यह इस्लाम, यह शिक्षा दी है उसी के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है, और हम इस्लाम पर कायम हैं और अल्लाह हमें विश्वास पर मृत्यु प्रदान करेगा, और हमारे धर्मी सेवकों के साथ हमारी प्रेरणा देगा।

उम्मत के इख़्तिलाफ़: कारण तथा हल

अब्दुल हकीम हिजाज़ी

जब हम इस्लामी शरीअत पर ज़रा गहरी निगाह डालते हैं जो कि क़यामत तक चलने वाले दीन की शरीअत है और इस ज़मीन के सारे इलाक़ों के लिये है तो हमको इसके पीछे की हिकमत नज़र आती है जिससे इस्लामी शरीअत के अल्लाह की शरीअत होने का ऐसा सुबूत मिलता है जैसे दोपहर में सूरज के वजूद का। हुज़ूर (स0अ0) ने दीन को आसान बताया और फ़रमाया: "दीन आसान है" और ये भी फ़रमाया कि इसको सख़्त बनाकर कोई अपना ज़ोर दिखाने की कोशिश करेगा तो हार जायेगा। इसीलिये संतुलित और आसान बात अपनाने की हिदायत दी गयी है ताकि दीन पर अमल करने में किसी को परेशानी न हो। अगर ये चीज़ न होती तो एक जगह दीन के कुछ हुक्मों पर आसानी से अमल होता और दूसरी जगह परेशानी हो जाती और इस दीन के पूरी दुनिया के लिये होने वाली बात पर और क़यामत तक रहने वाली बात सच न साबित होती। हुज़ूर (स0अ0) ने दीन के जो हुक्म बताये हैं उनमें आवश्यकतानुसार छूट रखी गयी है और आप (स0अ0) ने अमल करने में बहुत से कामों में अलग–अलग तरीक़े अपनाये और कई मौक़ो पर सहाबा रज़ि0 के काम करने के ढ़ंग में भिन्नता को स्वीकार किया। मानों की बहुत से कामों में उनके बहुत से एतबारों के आधार पर सहूलत व छूट की गुंजाइश रख दी, जिससे आवश्यकतानुसार फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसी तरह ये भी हुआ कि आप (स0अ0) के बहुत से कामों में अलग–अलग तरीक़े अपनाने या अलग–अलग हुक्म देने को अलग–अलग सहाबा रज़ि0 ने अपने–अपने मौक़ों पर अलग–अलग देखा तो अलग–अलग बयान भी किया। ऐसी सूरत में बिल्कुल शुरू के ज़माने में ऐसे हुक्मों के सिलसिले में जो किसी तरह का फ़र्क़ महसूस किया गया तो उनकी व्याख्या व उनको निश्चित करने में उलमा की रायों में भी कुछ फ़र्क़ हुआ, इसके नतीजे में बहुत से फ़िक़्ही मज़हब बन गये। लेकिन सबकी अस्ल एक है और उन सबका उद्गम स्त्रोत ख़ुद आप (स0अ0) की कोई बात या काम है। आप (स0अ0) की किसी बात या किसी काम में फ़र्क़ या अन्तर किसी भूल–चूक का नतीजा नहीं। अल्लाह का नबी जो शरीअत बयान करने वाला है वो भूल–चूक में कैसे पड़ सकता है?और जो शरीअत क़यामत तक के लिये दी गयी है उसमें कमी कैसे हो सकती है? अस्ल में ये अल्लाह तआला की तरफ़ से एक नेमत व रहमत है। हमें बहुत से मज़हबों की फ़िक़ में पानी की पाकी में सख़्ती मिलती है और बहुत से में छूट मिलती है। इसमें अगर एक ही पैमाने को लागू कर दिया गया होता तो जिन इलाक़ों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है वो बहुत परेशानी में पड़ते। अगर उनके लिये पानी के पाक होने की सख़्ती ज़रूरी कर दी गयी होती और जहां पानी की अधिकता है वहां के पाक होने में बहुत ज़्यादा छूट एक अनावश्यक बात होती। इसी तरह समन्दर के किनारे रहने वालों के लिये अगर पानी के बहुत कम प्रकार के जानवर ही निश्चित कर दिये जाते हैं तो उनको परेशानी होती जो कि समन्दर व पानी के केन्द्रों से दूर रहने वालों के क्षेत्रों में नहीं होती जहां इस सहूलत की न तो आवश्यकता है और न ही मांग है। हुक्मों में इस तरह का भिन्नता व वृहदता जो विभिन्न रिवायतों या सहाबा के अलग–अलग अमल से मिलता है और उसमें भिन्नता पायी जाती है, दरअस्ल इस्लाम की तरफ़ से मानवीय आवश्यकताओं में छूट और हर इलाक़े के लिये उसकी उपलब्धता हैं जो हमको इस भिन्नता में मिलती है जो आदेशों के वैचारिक अर्थों से विभिन्न धर्मों के फ़ुक़्हा के यहां पाया जाता है और उनका उद्गम स्त्रोत हुज़ूर (स0अ0) से मिलता है जो आप (स0अ0) के अमल व हुक्म या उसी से अनुसार होने के कारण सब भिन्नता

अपनी–अपनी जगह पर हक़ हैं और ये अल्लाह तआला की तरफ़ से अस्ल छूट और नेमत है। जब मसलक पूरी दयानत व अमानत के साथ कुरआन व हदीस से लिया गया हो और लिया जाने वाला इल्म व खोज के लिहाज़ से भी हो और तक़वा व लिल्लाहियत के साथ भी परिपक्व हो तो काम को गुमराही कैसे समझा जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा इजतिहादी ग़लती (सम्पूर्ण ईमानदारी से की जाने वाली खोज के बाद होने वाली ग़लती) समझी जा सकती है और उस पर भी सवाब है। इस भिन्नता में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिये और सिर्फ़ अपने को अहले हक़ और दूसरों को ग़लत न करार देना चाहिये। ये बात बहुत ध्यान देने की है। कुरआन मजीद में बनी इस्राईल के लगभग इसी तरह के विरोधाभास और अपने से भिन्न को तकलीफ़ पहुंचाने पर सख़्त नापसंदीदगी प्रकट की गयी है और मुसलमानों को एकता व इस्लामी भाईचारगी की पूरी ताकीद की गयी है।

लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि सभी मसलकों के ये स्वीकार करने के बावजूद के अहले सुन्नत के प्राख्यात व प्रचलित फ़िक़ सब हक़ पर हैं, चाहे वो हनफ़ी हों, शाफ़ई हों और चाहे हम्बली हों या मालिकी, चाहे हम्बली फ़िक़ के अन्तर्गत हो जैसे सलफ़ी। लेकिन इन अलग–अलग फ़िक़्हों के मानने वाले मसलिकी पक्षपात में कई बार आपस में एक दूसरे से भिन्नता में ऐसी शिद्दत बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि मसला इस्लाम और कुफ़्र के बीच का हो और जैसे कि वही अकेले हक़ पर हैं और जो उनके मसलक के ख़िलाफ़ दूसरे मसलक का है वो बिल्कुल गुमराह है। और ये बात कई बार बहुत गंभीर स्थिति का रूप धारण कर लेती है। अतीत में भी ऐसा हुआ है और इस समय भी इस्लामी दुनिया में बहुत से लोगों में शिद्दत वाला रूझान नामुनासिब तरीक़े से उभरने लगा है। इस टकराव से ये उम्मत अकेली उम्मत नहीं रह जाती जबकि हर मसलक वाला अपने को अस्ल मुसलमान और दूसरे को गुमराह समझता है और कई बार ये दोनों एक दूसरे के पीछे नमाज़ तक नहीं पढ़ते। हालांकि कुरआन मजीद में और हदीस शरीफ़ में साफ़–साफ़ इशारे आयें हैं और ताकीद आयी है कि आपस में फूट न डालें। एक उम्मत बन जाओ। कुरआन मजीद में आया है:

"ये तुम्हारी उम्मत एक उम्मत है और मैं तुम्हारे रब की इबादत करता हूं।" (अलअम्बिया: 92)

और अम्बिया अलै0 के लिये ये अक़ीदा बताया गया है कि:

"हम किसी रसूल के दरमियान फ़र्क़ नहीं करते।" (बक़रह: 285)

हालांकि उनकी शरीअतों के हुक्मों मे अन्तर रहा है और मुसलमान को आपस में भाई–भाई बनकर रहने का हुक्म दिया गया है। भाई–भाई में जिस तरह मामूली चीज़ों में भिन्नता होती लेकिन उनके भाई होने में फ़र्क़ नहीं पड़ता। इसी तरह कुरआन व हदीस से ईमान व इख़्लास की विशेषता के साथ खोज का अमल अपनाने वाले को प्रयास व हक़ के अनुसार स्वीकार किया जायेगा। इसके साथ सम्मान का मामला किया जायेगा। चाहे हक़ीक़त के एतबार से उससे कोई इज्तिहादी ग़लती हुई हो। हमारे बुज़ुर्गों ने इसी की पाबन्दी की है। इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं।

इमाम इब्ने तैमिया (रह0) ने अपने मजमूआ फ़तावा में इसको तफ़सील व ताकीद के साथ बयान किया है। और हमको अपने इक़्तिदा के लायक़ बुज़ुर्ग के आपस में इख़्तिलाफ़ करने और अपनी–अपनी राय पर जम कर बात करने के बावजूद आपस में मुहब्बत के साथ रहने और मामला करने की ख़ासी मिसालें मिलती हैं। इमाम शाफ़ई (रह0), इमाम अहमद बिन हम्बल (रह0) और दूसरे लोगों के हालात देखिये तो वो आपस में इसी रवादारी पर अमल करते रहे हैं। ज़रूरत है कि इस तर्ज़ को क़ायम रखा जाये। वरना हर मसलक अपने को अस्ल हक़ पर समझेगा और दूसरे के हर मसलक को गुमराह समझेगा और इस तरह दीन इस्लाम एक छोटे से मसलक में संकुचित होकर रह जायेगा जो किसी तरह आख़िरी नबी (स0अ0) की क़यामत तक रहने वाली इस महान उम्मत के लिये सही नहीं है। दीन की बुनियादों पर एकमत होने के साथ ऊपरी कामों में भिन्नता आपस में दुश्मनी का कारण नहीं बनना चाहिये। इसको सारे सहमति देने वालों और सारे उलमा–ए–अस्लाफ़ ने स्वीकार किया है, बल्कि उस पर अमल किया है।

ज़कात के विभिन्न मसले

मुफ्ती राशिद हुसैन नदवी

1. जब पूरा माल सदक़ा कर दिया:

ज़कात की अदायगी शरअन उस वक़्त तक नहीं मानी जाती जब तक मुस्तहिक़ को माल देते वक़्त ज़कात की नियत न हो। लेकिन अगर किसी साहिबे निसाब ने साल पूरा होने के बाद पूरा माले निसाब सदक़ा कर दिया तो उसके ज़िम्मे से उस निसाब का फ़रीज़ा साक़ित हो जाएगा। (हिन्दिया)

2. पेशगी ज़कात अदा करना:

अगर कोई शख़्स साहिबे निसाब है तो वह एक साल या कई साल की पेशगी ज़कात निकालना चाहे तो निकाल सकता है लेकिन अगर बाद में माल में इज़ाफ़ा हो गया तो उसकी ज़कात अलग से निकालनी होगी। (हिदाया)

3. गिरवी रखी हुई चीज़ की ज़कात:

अगर ज़कात के माल में से कोई चीज़ चाहे वह ज़ेवर हो या कोई और चीज़ किसी क़र्ज़ वग़ैरह के बदले में गिरवी रखी हुई है तो उसकी ज़कात न राहिन (गिरवी रखने वाले) पर होगी न मुरतहिन (जिसके पास सामान गिरवी रखा गया हो) पर, इसलिए कि ज़कात उसी वक़्त वाजिब होती है जब मिल्कियते ताम्मा पायी जाए और गिरवी रखे हुए सामान पर किसी को भी मिल्कियते ताम्मा हासिल नहीं है। राहिन सामान का मालिक तो है लेकिन सामान उसके क़ब्ज़े में नहीं है और मुरतहिन सामान पर क़ाबिज़ है लेकिन उसको सामान की मिल्कियत हासिल नहीं है फिर जब राहिन क़र्ज़ की अदायगी करके सामान को छुड़ा ले तब भी पिछले सालों की ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी। (शामी)

माले तिजारत की ज़कात में फ़रोख़्त की क़ीमत का एतबार होगा:

माले तिजारत की ज़कात में एक अहम मसला यह भी है कि ख़रीदारी के दिन की क़ीमत का एतबार नहीं किया जाएगा बल्कि एतबार उस सामान की ज़कात निकालने के दिन की क़ीमत का किया जाएगा यानि मालियत उस दिन की मोतबर होगी जिस दिन आप ज़कात का हिसाब कर रहे हैं, जैसे: एक प्लाट तिजारत के लिए आपने एक लाख रुपये में ख़रीदा था और आज उस प्लाट की क़ीमत दस लाख रुपये हो गयी, अब दस लाख पर ढ़ाई फ़ीसद के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी, एक लाख पर नहीं निकाली जाएगी, इसी तरह ख़रीद की क़ीमत के बजाए फ़रोख़्त की क़ीमत का एतबार किया जाएगा, हां फुटकर के बजाए होल सेल के एतबार से क़ीमत का अंदाज़ा लगाना जाएज़ है। (बदाए)

सोने–चांदी में भी फ़रोख़्त की क़ीमत का एतबार होगा: सोने–चांदी में सोनार के यहां से ज़ेवरात ख़रीदें तो क़ीमत ज़्यादा रहती है और बेचे जाएं तो उसकी क़ीमत क़द्रे कम होती है, तो चूंकि सोने–चांदी में ज़कात अस्लन वज़न के एतबार ही से होती है कि चालिस ग्राम चांदी में एक ग्राम, सौ ग्राम में ढाई ग्राम और शरीअत की तरफ़ से अस्लन इसी वज़न का एतबार है, लिहाज़ा क़ीमत से अदायगी करते वक़्त उसी की फ़रोख़्त वाली क़ीमत का एतबार होगा, जिस क़ीमत पर ख़रीदा था, उसका एतबार नहीं होगा। (शामी)

यह भी वाज़ेह रहे कि अगर अमवाले तिजारत की क़ीमत अलग–अलग शहरों में मुख़्तलिफ़ हो जाती हो तो माल जहां पर मौजूद हो, वहां की क़ीमत का एतबार किया जाएगा, जहां पर ज़कात देने वाला मौजूद है, वहां की क़ीमत का एतबार नहीं किया जाएगा। (शामी)

हराम माल में ज़कात:

जो माल किसी हराम तरीक़े से हासिल किया गया, जैसे: सूद, रिश्वत या ग़सब वग़ैरह के ज़रिए, इसका हुक्म यह है कि मालिक मालूम हो तो मालिक पर लौटाना वाजिब है और मालिक मालूम न हो तो ग़रीबों पर सदक़ा करना ज़रूरी होता है, किसी भी सूरत में यह माल हासिल करने वाले की मिल्कियत में दाख़िल नहीं होता, लिहाज़ा

उस माल पर ज़कात वाजिब नहीं है। (शामी)

साल मुकम्मल होने के बाद माल का ज़ाया हो जानाः

अगर साल पूरा होने के बाद पूरा माल चोरी हो गया या किसी और तरीक़े से ज़ाया हो गया तो उसकी ज़कात माफ़ हो जाएगी, लेकिन अगर ख़ुद माल को हलाक और ज़ाया कर दिया तो ज़कात माफ़ नहीं होगी, जब भी बाद में उसके पास माल आए ज़कात अदा करे।

जानवरों की ज़कातः

अगर कोई जानवरों की ख़रीद व फ़रोख़्त का काम करता है तो उन जानवरों को माले तिजातर क़रार दिा जाएगा और पीछे बताया जा चुका है अमवाले तिजारत की मालियत छः सौ बारह ग्राम चांदी के बराबर हो जाए और उस पर साल गुज़र जाए तो ज़कात वाजिब हो जाएगी और उनकी कुल मालियत का चालिसवां हिस्सा निकालना वाजिब होगा। अगर कोई इस तरह तिजारत करता हो तो चाहे जिस जानवर की तिजारत कर रहा हो तो सबमें उसी एतबार से ज़कात वाजिब होगी। (हिन्दिया)

और अगर तिजारत के बजाए जानवर पालने का मक़सद यह हो कि उनका दूध हासिल करेंगे और नस्ल बढ़ांएगे तो उनकी ज़कात तभी वाजिब होगी जब उनमें मुन्दरजा ज़ेल शर्तें पायी जा रही होः

1. वह जानवर ऊंट, गाय, भैंस, भेड़ या बकरी हो। उन जानवरों के अलावा वह बक़िया जानवरों पर ज़कात तभी वाजिब होगी जब उनकी तिजारत की जाए। (तातारख़ानिया)

2. वह जानवर साल के अक्सर हिस्से में चारागाह वग़ैरह में चरकर गुज़ारते हों, अगर आधे साल या उससे कम चरकर गुज़ारा करते तो ज़कात वाजिब नहीं होगी, इसी तरह जिन जानवरों को घर और बाड़े वग़ैरह में रखकर चारा दिया जाता है, जैसे आजकल जानवरों की डेरियों में होता है तो उनकी ज़कात वाजिब नहीं होगी। (शामी)

3. उन जानवरों को पालने का मक़सद उनसे दूध हासिल करना या उनकी नस्ल चलाना हो, अगर गोश्त खाने, सवारी करने या खेत जोतने के लिए पाला हो तो उन जानवरों की ज़कात वाजिब नहीं होगी। (शामी)

4. यह जानवर इतने सेहतमंद हों कि उनकी बढ़ोत्तरी मुमकिन हों, अगर यह जानवर बीमार, लूले, लंगड़े और मरियल हों कि उनमें इज़ाफ़ें का इमकान न हो तो उनमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। (शामी)

5. उन जानवरों में से हर एक का अलग निसाब है, वह निसाब की तादाद में हों और उन पर साल गुज़र जाए (निसाब के बारे में मुख़्तसर बहस आगे आ रही है) (हिन्दिया)

6. वह जानवर सबके सब बच्चे न हों, बल्कि उनमें कोई न कोई बड़ा जानवर भी हो, अगर सबसे सब बच्चें हों तो उनपर ज़कात वाजिब न होगी। (बदाए)

अलबत्ता अगर यह जानवर नर–मादा दोनों या सिर्फ़ नर हों या सिर्फ़ मादा हों तो उससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा और बक़िया शराएत पूरी हो रही हो तो उनकी ज़कात वाजिब होगी। (बदाए)

ऊंट की ज़कातः

हदीसों फ़िक़ की किताबों में ऊंट की ज़कात की तवील बहसें आयीं हैं इसलिए कि अरबों के यहां ऊंट सबसे ज़्यादा अहमियत वाला जानवर था, लेकिन हमारे यहां एक तो ऊंट कम पाए जाते हैं दूसरे अगर कुछ हों भी तो बक़िया शर्तें मुश्किल ही से पायी जाती हैं, लिहाज़ा हम इसका निसाब क़द्रे इख़्तिसार से करना मुनासिब समझते हैं।

गाय–भैंस का निसाबः

गाय–भैंस को शरअन एक जिन्स क़रार दिया गया है और इनके निसाब की तफ़सील यह है कि किसी के पास अगर तीस से कम गाय–भैंस हों तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। इनमें ज़कात तभी वाजिब होगी जब उनकी तादाद तीस या उससे ज़्यादा हो, फिर अगर कोई तीस से लेकर उन्तालिस तक गाय–भैंस का मालिक हो तो उस पर तबीअ या तबीआ (एक साला गाय या भैंस चाहे नर हो या मादा) वाजिब होगा और अगर चालिस से लेकर उन्सठ तक गाय–भैंस का मालिक हो तो दो साला नर या मादा, गाय या भैंस वाजिब है और साठ से लेकर उन्हत्तर तक गाय–भैंस का मालिक हो तो दो–एक साला गाय–भैंस चाहे नर हो या मादा देना होगा। इस सिलसिले में ज़ाब्ता यह है कि जब तादाद साठ जानवरों से बढ़ जाए तो हर तीस जानवर पर एक साल और हर चालिस जानवर पर दो साला नर या मादा देना होगा। (हिन्दिया)

चुनान्चे हज़रत अली रज़ि0 की रिवायत अबूदाऊद में आयी है कि गाय–भैंस में हर तीस जानवर पर एक साला और हर चालिस पर दो साला नर–मादा वाजिब है।

ज़कात देने के कुछ मुतफ़र्रिक़ मसाएलः

ऊंट का निसाबः

अगर किसी के पास पांच ऊंट हैं तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास पांच से लेकर नौ ऊंट तक हों तो उसके ऊपर एक साल की बकरी या बकरा वाजिब होगा, और अगर दस से लेकर चौदह तक ऊंट का मालिक है तो उस पर इसी तरह के दो बकरे या बकरियां वाजिब होंगी, और अगर पन्द्रह से लेकर उन्नीस तक ऊंटों का मालिक है तो तीन बकरे या बकरियां वाजिब होंगी, और बीस से लेकर चौबिस तक ऊंटों का मालिक है तो चार बकरे या बकरियां वाजिब होंगी।

अगर पच्चीस से लेकर पैंतीस तक ऊंटों का मालिक है तो उस पर बिन्ते मख़ाज़ (यानि एक साल की मादा ऊंटनी) देना वाजिब होगा और छत्तिस से लेकर 45/ तक ऊंटों का मालिक है तो बिन्ते लबून यानि दो साल की मादा ऊंटनी देना वाजिब होगा, 46/ से लेकर 60/ तक ऊंटों का मालिक है तो हक़्क़ा यानि तीन साल की मादा ऊंटनी देना वाजिब होगा। 61/ से लेकर 75/ ऊंटों का मालिक है तो जिज़्आ यानि चार साल की मादा ऊंटनी वाजिब होगी। (इसी तरह तादाद बढ़ने पर ऊंटों की ज़कात का तफ़सीली निज़ाम हदीसों और फ़िक़ में आया है, हम इख़्तिसार के पेशे नज़र इस पर इक्तिफ़ा करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इसकी मालूमात हासिल की जा सकती हैं)

चुनान्चे बुख़ारी में हज़रत अनस रज़ि0 बिन मालिक रज़ि0 की तफ़सीली हदीस में हैः "हर पांच ऊंट में एक बकरी होगी, फिर जब पच्चीस ऊंट से 35 तक हो जाएं तो एक मादा बिन्ते महाज़ वाजिब है, फिर जब 36/ से 45/ तक हो जांए तो उनमें एक मादा बिन्ते लबून वाजिब है, फिर जब 45/ से साठ हो जाएं तो उनमें से एक जुफ़्ती के लाएक़ हक़्क़ा वाजिब है और फिर जब 61/ से 75/ हो जाएं तो उनमें एक जिज़्आ होगा।"

बकरी का निसाबः

बकरी चालिस से कम हों तो उन पर ज़कात नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास चालिस से लेकर 120 तक बकरियां हों तो तो उस पर एक बकरी या दो बकरा देना वाजिब है और अगर 121 से 200 तक हों तो दो बकरियां वाजिब हैं, 201 से 399 तक तीन बकरियां वाजिब हैं, 400 से 499 तक चार बकरियां वाजिब हैं, फिर सौ बकरी पर एक बकरी का इज़ाफ़ होता रहेगा। (शामी)

शेषः देशप्रेम का आशय

..... इसका नतीजा यह होगा कि मस्जिद में आप मुसलमान हैं (और मस्जिद में कितनी देर मुसलमान रहता है अपने सारे शौके इबादत के बावजूद?) और घर में मुसलमान नहीं। अपने मामलात में मुसलमान नहीं। इसलिए हम उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते कि हमारे ऊपर कोई दूसरा निज़ामे मुआशिरत, निज़ामे तमद्दुन और आएली क़ानून मुसल्लत किया जाए। हम इसको दावते इरतदाद समझते हैं और हम इसका इस तरह मुक़ाबला करेंगे जैसे दावते इरतिदाद का मुक़ाबला किया जाना चाहिए और यह हमारा शहरी जम्हूरी और दीनी हक़ है और हिन्दुस्तान का दस्तूर और जम्हूरी मुल्क का आमीन और मफ़ाद न सिर्फ़ इसकी इजाज़त देता है बल्कि इसकी हिम्मत अफ़ज़ाई करता है कि जम्हूरियत की बक़ा अपने हुकूक़ के तहफ़फ़ुज़ और इज़हारे ख़्याल की आज़ादी और हर फ़िरक़े और अक़्लियत के सुकून व इत्मिनान में मुज़िर है।

हिन्दुस्तान जैसे अज़ीम मुल्क में जो मुख़्तलिफ़ मज़ाहिब, तहज़ीबों, ज़बानों और मुआशरती व आएली निज़ामों का सदियों से मरकज़ चला आ रहा है और जिसने अपनी तवील तारीख़ के तसलसुल में इस हक़ीक़त के न सिर्फ़ एतराफ़ बल्कि एहतराम इस ख़ुसूसियत के न सिर्फ़ बाक़ी रहने की इजाज़त बल्कि उसके तहफ़फ़ुज़ व तरक़्क़ी व उसके साथ बक़ाए बाहम और मुश्तरिक मुल्की और क़ौमी मफ़ादात में सरगर्म इश्तराक व ताउन का सुबूत दिया है और जिसके लिए न मज़हबी और जम्हूरी तर्ज़े हुकूमत बशर्ते कि पूरी ग़ैर जानिबदारी और ज़हन व ज़मीर की सफ़ाई के साथ हो, सबसे ज़्यादा सहलुल अमल बेख़तर और क़ाबिले क़ुबूल निज़ाम हो सकता। यही तर्ज़े फ़िक्र मुनासिब है और यह न सिर्फ़ कहने वालों की अपने–अपने ईमान व अक़ीदा और क़ल्ब व ज़मीर की सही तरजुमानी है बल्कि हक़ीक़त पसंदी सच्ची हुब्बुल वतनी, अक़वाम व मलल, तहज़ीबों व तमद्दुनों, और उलूम व फ़लसफ़ा के वसीअ और गहरे मुताले का निचोड़ है।

अपमानित क़ौम

अब्दुस्सुब्हान नाख़ुदा नदवी

बनी इस्राईल का समन्दर पार करने के बाद इबादत के लिए बुत मुक़र्रर करने का मामला हो या गोशाला परस्ती का, इसी तरह अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देखने की मांग हो या मन व सलवा से उकताकर सब्ज़ी, दाल, तरकारी व प्याज़ की मांग करने का मामला। अंदाज़ा यही है कि पूरी क़ौम इसमें शरीक नहीं थी बल्कि उनका एक बड़ा गिरोह यह काम कर रहा था और अब तक उनका मामला कुछ फ़रमाबरदारी और बहुत कुछ नाफ़रमानी का चल र हा था। इसीलिए कुरआन मजीद में अल्लाह तआला की नाराज़गी और सज़ा व तादीब का तज़किरा ज़रूर है। लेकिन उनपर ज़िल्लत थोपने की बात नहीं कही गयी।

कुरआन मजीद में जिस जगह बनी इस्राईल पर ज़िल्लत व बेचारगी थोपने की बात कही गयी है उसकी शुरूआत उस वक़्त से हुई जब उन्होंने अस्ल मक़सद से मुंह मोड़ा और उसमें कुछ लोगों को छोड़कर पूरी क़ौम का मुजरिमाना किरदार रहा। उनको दरअस्ल अपनी सरज़मीन को आबाद करना था और वहीं तमाम एहकामाते इलाहिया का निफ़ाज़ भी करना था। लेकिन जब उनसे इसकी मांग की गयी और अल्लाह तआला के इस फ़रमान के हवाले से मुतालिबा किया गया कि वह मुक़द्दस सरज़मीन अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, इसलिए वहां जाओ तो पूरी क़ौम एक ज़बान होकर चिल्ला उठी कि हमसे यह नहीं हो सकता। अंदाज़ा यह है कि यह उनकी इज्तिमाई सबसे बड़ी हमागीर नाफ़रमानी थी जो हज़रत मूसा अलै0 के सामने खुले तौर पर की गयी। इस पर अल्लाह तआला का ग़ुस्सा भड़क उठा। हज़रत मूसा अलै0 ने पूरी क़ौम से अलाहदगी अख़्तियार की। अब तक माफ़ी तलाफ़ी, रिआयत और दरगुज़र का जो अंदाज़ था वह बदल गया, इसलिए कि यह क़ौमी ख़यानत थी और अपने अस्ल मक़सद से खुला हुआ इन्हिराफ़ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह दुआ या बद्दुआ करनी पड़ी "परवरदिगार मैं बस अपना और अपने भाई का अख़्तियार रखता हूं तो हमारे और उन फ़ासिक़ लोगों के बीच जुदाई डाल दे।" (सूरह माइदाः 25)

बस यहां से बनी इस्राईल पर जो ज़िल्लत व बेचारगी थोपी गयी वह आज तक जारी है। दरमियान में अल्लाह के एहसानात भी हुए लेकिन ज़िल्लत की यह कालिक हटाए न हट सकी। इरशादे इलाही हैः "उन पर ज़िल्लत और बेचारगी थोप दी गयी और वह अल्लाह के ग़ज़ब में जा पड़े। यह इस वजह से कि वह अल्लाह की आयत को ठुकराते थे और नाहक़ नबियों को क़त्ल करते थे। यह इस वजह से कि वह सर चढ़ गए और वह हद से आगे बढ़ जाया करते थे।" (सूरह बक़राः 61)

"ज़रब" का आम मफ़हूम मारने का है, इस लिहाज़ से "ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु" का मतलब यह हुआ कि उन पर ज़िल्लत मार दी गयी, थोप दी गयी। गोया उस चीज़ से दामन छुड़ाना उनके लिए मुमकिन न रहा। यह ताबीर कुरआन करीम ने दो जगह इस्तेमाल की है और दोनों जगह बनी इस्राईल से यहूद मुराद हैं।

"ज़िल्लतु" हिक़ारत, पस्ती और कमज़ोरी किसी के दबाव पर झुकाव की कैफ़ियत को "ज़िल्लत" कहा जाता है।

"अलमसकनतु" बेचारगी, कमज़ोरी और किसी के सामने झुकने को "मसकनत" कहा जाता है। इसका मतलब हरकत का बन्द होना है। चूंकि मिस्कीन बेचारा माली लिहाज़ से इतना कमज़ोर होता है कि गोया किसी हरकत के लायक़ ही नहीं रहता, इसलिए उसके "मिस्कीन" कहा जाता है। ज़िल्लत का ताल्लुक़ अन्दर से ज़्यादा होता है और मसकनत का ताल्लुक़ बाहर से कुछ ज़्यादा मालूम होता है। जिल्लत के साथ मसकनत को लाकर अल्लाह ने यह बता दिया कि वह ज़ाहिर बातिन दोनों एतबार से पस्त कर दिए गए। इन्तिहाई बेक़ीमत, बेवक़अत और हक़ीर बना दिए गए।

कुरआन मजीद में दूसरी जगह अल्लाह तआला ने यह भी बता दिया है कि उनको अगर अल्लाह का सहारा या इन्सानों का सहारा मिल जाए तो वक़्ती तौर पर उनकी ज़िल्लत व बेचारगी कुछ हट सकती है। इरशाद हैः "उनपर ज़िल्लत थोप दी गयी, जहां भी यह पाए जाएं (यानि दुनिया का हर कोना उनके लिए जाए ज़िल्लत है) हां अल्लाह की रस्सी और लोगों की रस्सी के ज़रिए उनकी ज़िल्लत वक़्ती तौर पर छुप सकती है और यह

अल्लाह के ग़ज़ब से जा पड़े और उन पर बेचारगी भी दे मारी गयी।'' (आले इमरानः 112)

अल्लाह का सहारा मिलने का मतलब उनका इस्लाम कुबूल करना है। इसी सूरत में इनकी ज़िल्लत इज़्ज़त में बदल जाएगी। इसी तरह अल्लाह की तरफ़ से कुछ मुद्दत उनको सांस लेने की मिल जाए तो यह भी अल्लाह का सहारा क़रार दिया जा सकता है। दूसरी तरफ़ अगर कोई बड़ी ताक़त उनकी सरपरस्ती करे (जिसे लोगों का सहारा किया गया है) तो फिर कुछ देर के लिए उनकी तार–तार इज़्ज़त की कुछ मरहम पट्टी हो सकती है। आजकल इत्तिफ़ाक़ से वही ज़माना चल रहा है। जबकि अमरीका और यूरोप अपनी साख दांव पर लगाकर उनकी साख बचाने की कोशिशों में हैं। बस आरज़ी इज़्ज़त का पर्दा सरकने की देर है, अस्ल ज़िल्लत की स्याही एक बार फिर उनके चेहरों पर थोपी जाएगी। यह बात क़ाबिले ज़िक्र है कि जब ''जबलुल्लाह'' के अस्ल वारिस या अमीन यानि अहले इस्लाम ''जबलुल्लाह'' को मज़बूती से नहीं थामेंगे तो उनकी इबरत के लिए अल्लाह की रस्सी दुश्मनों के लिए ढीली की जाती है, और उन पर ग़ैरों को मुसल्लत कर दिया जाता है। कुरआन इस पर शाहिद है। अफ़सोस है कि हम लोग फ़िल वक़्त इसी वक़्त से गुज़र रहे हैं जब अल्लाह की रस्सी दुश्मनों के लिए ढीली कर दी गयी।

बहुत से लोगों के ज़हन में यह शुब्हा आ सकता है कि यहूद तो हमेशा मालदार रहे हैं, यहां तक कि जब उनकी हुकूमत नहीं बनी थी उस वक़्त भी बड़े मालदार थे फिर मसकनत थोपने का क्या मतलब है?

इसका एक जवाब यह दिया गया है कि यहूद में जो मालदार हैं वह बेपनाह दौलत के मालिक हैं लेकिन उनकी अक्सरियत ख़स्ताहाल लोगों पर मुस्तमिल है। अलबत्ता हम मौजूदा दौर में देखते हैं तो उनमें एक मुख़्तसर तादाद को छोड़कर बक़िया सब अच्छे–ख़ासे मालदार हैं, लिहाज़ा इश्काल अपनी जगह पर क़ायम है, उसका मुनासिब जवाब यही है कि मसकनत हक़ीक़त में बेचारगी को कहते हैं, माल की कमी मसकनत का सबब हो सकती है लेकिन मसकनत की हक़ीक़त नहीं। हमारा मुशाहिदा है कि कितने ऐसे माली लिहाज़ से कमज़ोर लोग हैं जो ग़ैरत व ख़ुद्दारी में मिसाल नहीं रखते। पूरे वक़ार और इज़्ज़त के साथ ज़िन्दगी बसर करते हैं, वह टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते और कितने ऐसे मालदार हैं जिनमें ख़फ़्त और गिरावट नज़र आती है, उनकी एक–एक अदा से मसकनत टपकती है। ऐसे लोग निहायत दर्जा तमाअ, हरीस और बुज़दिल होते हैं। कोई छोटा सा मामला पेश आ जाए तो क़दमों पर लोटने के लिए तैयार। यहां इस आयत में वही मसकनत मुराद है। अलामते मसकनत यानि माल की कमी भले न भी पायी जाए लेकिन हक़ीक़त में बेबसी व बेकसी उन पर थोप दी गयी है इसलिए बहुत मालदार होने के बावजूद यहूद ज़लील होते रहे, हर जगह से निकाले जाते रहे, दर–बदर की ठोकरें खाना उनके मुक़द्दर में लिख दिया गया। फ़िलवक़्त लोगों के सहारे कुछ इज़्ज़तदार नज़र आते हैं, लेकिन ज़िल्लत व मसकनत का मकरूह चेहरा छिपाए नहीं छिप रहा है।

इसका मतलब यह है कि उन्होंने ग़ज़बे इलाही को अपना ठिकाना बना लिया। इसमें दवाम और तसलसुल और इस्तक़रार का मफ़हूम पाया जा रहा है। गोया यह लोग हमेशा ज़ेरे इताब रहेंगे और अपनी करतूतों की पादाश में मुस्तक़िल अल्लाह की लानत और ग़ज़ब के मुस्तहिक़, इसीलिए हदीस पाक में इनकी सिफ़त ही ''जिन पर अल्लाह का गज़ब साबित है'' क़रार दी गयी।

यही दोनों ताबीरात दवाम और हमेशगी की तरफ़ इशारा करती हैं। इसकी वजह ख़ुद कुरआन ने कुफ़्र, क़त्ले अम्बिया, अस्यान व सरकशी और हद को फलांगना क़रार दिया है। यह बात मलहूज़ रहे कि यहां हुक्म अक्सरियत पर लगाया जा रहा है और उनकी मिज़ाजी ख़राबी और बदबातिनी को ज़ाहिर किया जा रहा है वरना यह हर कोई जानता है कि हज़रत मूसा के बाद इसमें मुसलसल पैग़म्बरों का सिलसिला जारी रहा। अहले हक़ पैदा होते रहे। अइम्मा व पेशवा जन्म लेते रहे। इस्लाह की कोशिश मुस्तक़िल जारी रही। एक तादाद हक़ पर क़ायम रही। यह सारे काम होते रहे लेकिन नफ़्स परस्ती, बदतीनती, हसद और मासियत पसंदी इस क़द्र जड़ पकड़ चुकी थी कि हर सही बात बताने वाला उनको कांटे की तरह खटकता और उनकी आख़िरी तमन्ना यह होती कि किसी तरह इसका वजूद ही ख़त्म कर दिया जाए और इस सिलसिले में सिर्फ़ अम्बिया ही नहीं बल्कि जो भी अद्ल व इन्साफ़ की फ़िज़ा आम करना चाहता वह उन लोगों के नज़दीक क़ाबिले गर्दन ज़दनी ठहरता।

नुबूव्वत के बाद मआश-ए-नबवी (स0अ0)

मुहम्मद अरमुग़ान बदायूंनी नदवी

नबी करीम (स0अ0) लगभग पैंतीस सालों तक व्यापार में लगे रहे और अपने स्वभाव के अनुसार ज़िन्दगी गुज़ारते रहे। लेकिन अस्ल उद्देश्य केवल यह न था कि मक्का के आपसी झगड़ों में एक बेहतर जज साबित हों या व्यापार में एक बेहतर साथी साबित हों या सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर एक शरीफ़ इन्सान साबित हों। बल्कि आपकी ज़िंदगी का अस्ल मक़सद इन्सानी दुनिया को हिदायत का पैग़ाम देना था और एक ऐसी शरीअत की बुनियाद डालनी थी जो पूरी दुनिया के लिए हो और तौहीद (एकेश्वरवाद) के प्रकाश को फैलाना था और यह महान ज़िम्मेदारी दुनिया की सभी व्यस्तताओं से ऊपर उठकर थी। यही कारण है कि आने का समय जितना करीब होता गया, आपकी तबियत दुनिया की व्यस्तताओं से उचाट होने लगी और आपका मन मक्का के जाहिल समाज के बीच कुढ़ने लगा। इसीलिए रसूलुल्लाह (स0अ0) सामाजिक जीवन से दूर रहने लगे और अपनी उठक–बैठक केवल उस सोसाइटी तक सीमित कर ली जो मूर्तिपूजा से दूर थी और एक सच्चे धर्म की तलाश में थी। उन दिनों में भी रसूलुल्लाह (स0अ0) पर अजीब कैफ़ियत तारी रहती थी और रसूलुल्लाह (स0अ0) लम्बे समय तक ग़ार–ए–हिरा में हर प्रकार की व्यस्तता से दूर होकर एकाग्र मन से मुराक़बा (खुदा का ध्यान) किया करते थे और वापिसी में तवाफ़–ए–काबा के बाद घर की ओर प्रस्थान करते थे। सत्य की खोज की इस जिज्ञासु परिस्थिति में रसूलुल्लाह (स0अ0) ने बहुत सी ऐसी घटनाओं को भी देखा जो इस बात का इशारा दे रही थीं कि जल्द ही हिदायत की सही राह मिलने वाली है। इसीलिए रमज़ान के महीने में जब रसूलुल्लाह (स0अ0) ग़ार–ए–हिरा में थे, अचानक अल्लाह तआला का एक फ़रिश्ता सेवा में उपस्थित हुआ और उसने सूरह इक़रा की शुरूआती आयतें आपको याद कराईं। यह घटना वास्तव में रिसालत की तफ़वीज़ थी जिसके होने पर रसूलुल्लाह (स0अ0) बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार हो गए और सीधे घर की ओर चल दिये। घर पहुंचकर हज़रत ख़दीजा (रज़ि0) ने रसूलुल्लाह (स0अ0) से सुहानूभूति के बहुत ही ऐतिहासिक शब्द कहे। और फिर धीरे–धीरे रसूलुल्लाह (स0अ0) सत्य धर्म के प्रचार में दिन–रात व्यस्त हो गए और जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया।

नुबूव्वत से पहले रसूलुल्लाह (स0अ0) की आत्मिक जिज्ञासा और नुबूव्वत के बाद धर्म के प्रचार की राह में आपकी असाधारण तड़प, इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती थी कि रसूलुल्लाह (स0अ0) व्यापार में पहले की तरह लगे रहें और फिर हज़रत ख़दीजा (रज़ि0) ने जब अपनी तमाम धन–दौलत आपके हवाले कर दिया था, उसके बाद यूं भी उसकी ज़रूरत न थी कि रसूलुल्लाह (स0अ0) केवल धन–दौलत के लिए अपनी व्यस्तता जारी रखें। फिर भी बहुत सी रिवायतों की रोशनी में यह बात कही जा सकती है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) ने नुबूव्वत के कुछ साल पहले और नुबूव्वत के बाद भी सीमित दायरे में व्यापार जारी रखा।

इब्ने कसीर की रिवायत है कि अबूसुफ़ियान बिन हरब एक बार व्यापारिक यात्रा पर सीरिया गया और वहां से वापस होकर यमन का रुख़ किया, फिर जब यमन से वापसी हुई तो वह सभी लोग अबू सुफ़ियान से मुलाक़ात करने आने लगे जिन्होंने व्यापार में अपना माल लगा रखा था ताकि वे अपना मुनाफ़ा हासिल कर सकें। उन्हीं लोगों में रसूलुल्लाह (स0अ0) भी थे। रसूलुल्लाह (स0अ0) अबुसुफ़ियान के घर आए और दुआ–सलाम की, सफ़र के हाल–चाल पूछे और वापस चले गए। रसूलुल्लाह (स0अ0) के इस तरीक़े पर अबू सुफ़ियान को बड़ी हैरत हुई कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने अपने व्यापारिक माल की चर्चा तक नहीं की और मेरा हाल–चाल पूछकर ही चल दिए, जबकि जितने लोगों का हिस्सा मेरे साथ लगा हुआ था उनमें से किसी ने मेरी ख़ैरियत तो नहीं पूछी, मगर उन्हें अपना हिस्सा लेने की चिन्ता अवश्य थी। हिन्दा ने उत्तर दिया: शायद तुम्हें अभी पता नहीं चला कि उन्होंने अपने रसूल–ए–खुदा होने का दावा किया है। इसके बाद अबू सुफ़ियान ख़ाना–ए–काबा गया और वहां तवाफ़ के दौरान रसूलुल्लाह (स0अ0) से फिर मुलाक़ात हुई। इस बार अबू सुफ़ियान ने बातचीत की पहल की और कहा: "तुम्हारे व्यापारिक माल में ख़ूब मुनाफ़ा हुआ है तो किसी को भिजवाकर अपना सामान मंगवा लो और मैं तुमसे वह फ़ीसद भी नहीं लूंगा जो मैं अपनी क़ौम से लेता हूं।"

रसूलुल्लाह (स0अ0) ने अपने व्यापारिक माल को अबू सुफ़ियान की इस शर्त पर लेना अनुचित समझा, तो अबू सुफ़ियान ने कहा: ठीक है, जो मैं अपनी क़ौम से वसूल

करता हूं, तुम भी उतना दे देना, यह सुनकर रसूलुल्लाह (स0अ0) ने व्यापारिक माल अबू सुफ़ियान के घर से हासिल किया।

इस रिवायत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) जिस ज़माने में सत्य की राह की खोज में थे, उस ज़माने में अपना व्यापारिक माल कुरैश के व्यापारिक काफ़िलों में बतौर मुज़ारिबत (इस्लामी व्यापार का एक रूप) रवाना करते थे। रसूलुल्लाह (स0अ0) का नियम नुबूव्वत के बाद भी यक़ीनन बदस्तूर जारी रहा होगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह (स0अ0) के मक्का वालों से आपसी मामलात हिजरत के वक़्त तक जारी रहे थे, जिसकी बड़ी दलील हिजरत के समय की वह घटना, जिसमें ज़िक्र है कि अपने पीछे हज़रत अली (रज़ि0) इसलिए छोड़ा था ताकि वह मक्का वालों की अमानतें उन तक पहुंचा दें। फिर भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब आपके विरोध ने ज़ोर पकड़ा और मक्का वालों की तकलीफ़ें अपनी हदें पार करने लगीं तो आपके आर्थिक तन्त्र को भी ज़बरदस्त नुक़सान पहुंचा होगा और बहुत से व्यापारियों ने रसूलुल्लाह (स0अ0) का व्यापारिक माल लेने से इनकार भी कर दिया होगा।

मक्का मुकर्रमा के पुर आशूब दौर में भी दो ऐसे व्यक्ति (अबू तालिब, ख़दीजा रज़ि0) थे, जिनकी वजह से रसूलुल्लाह (स0अ0) को आर्थिक व राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। इसलिए जब उन दोनों का इन्तिक़ाल हो गया और मक्का के काफ़िरों ने ज़ुल्म की इन्तिहा कर दी तो रसूलुल्लाह (स0अ0) को हिजरत (पलायन) का आदेश हुआ और रसूलुल्लाह (स0अ0) मदीना मुनव्वरा प्रस्थान कर गए।

मदनी जीवन में जहां रसूलुल्लाह (स0अ0) के दावती मिशन की राहें आसान हुईं, वहीं रसूलुल्लाह (स0अ0) की आर्थिक समस्याएं भी हल हो गईं तथा जीवन की आवश्यकताएं पूरी होने का विभिन्न साधनों से प्रबन्ध भी हो गया। मदनी समय के आरम्भ में इब्ने साद का बयान है कि हज़रात–ए–अन्सार (मदीने के अंसारी) बारी–बारी खाने–पीने का सामान पहुंचाते। रसूलुल्लाह (स0अ0) उन तोहफ़ों को ख़ुशी–ख़ुशी कुबूल करते ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल के बाद जो बच जाता उसको ग़रीब सहाबियों में बांट देते।

सही बुख़ारी में है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) के पड़ोस में रहने वाले अंसार हर रोज़ आपके लिए ऊंटनियों का दूध और दूसरी खाने–पीने की चीज़ें लाते थे और रसूलुल्लाह (स0अ0) अज़वाज–ए–मुतहर्रात (रसूलुल्लाह (स0अ0) की पत्नियां) को दे देते थे। यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) केवल अन्सारी सहाबियों के उपहारों पर ही संतुष्ट न रहे बल्कि रसूलुल्लाह (स0अ0) ने ज़ाति तौर पर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बकरियां भी ख़रीदीं। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) ने हज़रत उरवह बारक़ी को बकरी ख़रीदने के लिए एक दीनार दिया। उरवा ने बाज़ार में जाकर एक दीनार से दो बकरियां ख़रीदीं, और उनमें से एक बकरी एक दीनार की बेच दी। फिर एक दीनार और एक बकरी के साथ रसूलुल्लाह (स0अ0) के पास आए। रसूलुल्लाह (स0अ0) ने उनकी तारीफ़ की उनके उपाय को सराहा और कहाः

"अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हाथ के सौदे में ख़ूब नवाज़े।"

बिलाज़री की एक रिवायत से यह भी मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) कभी–कभी रोज़ी की तलाश में मदीना के बाज़ारों में भी जाते थे, चाहे यह एक–दो बार ही हुआ हो। एक बार की घटना है कि हज़रत उस्मान (रज़ि0) रसूलुल्लाह (स0अ0) के घर आए और हज़रत आयशा (रज़ि0) से रसूलुल्लाह (स0अ0) के बारे में मालूम किया। हज़रत आयशा (रज़ि0) ने बतायाः घरवालों के लिए कुछ रोज़ी तलाश करने निकले हैं, इसलिए कि सात दिन से हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला है। हज़रत उस्मान (रज़ि0) फ़ौरन घर वापस गए और कुछ खाना और एक बकरी उपहार स्वरूप भेंट की।

इसके बाद जब मदनी दौर में विजय का क्रम आरम्भ हुआ तो माल–ए–ग़नीमत का पांचवा हिस्सा अल्लाह तआला की तरफ़ से रसूलुल्लाह (स0अ0) का होना तय पाया। सही मुस्लिम में हैः

"अल्लाह तआला ने हमारी कमज़ोरी और बेबसी को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए माल–ए–ग़नीमत को हलाल कर दिया।"

इसके अलावा फ़दक व ख़ैबर इत्यादि की आमदनी से रसूलुल्लाह (स0अ0) की आर्थिक आवश्यकताओं का मुस्तक़िल हल हो गया था। और दूसरे राज्यों के बादशाह भी कीमती उपहार भेजकर शर्फ़ व नियाज़ हासिल किया करते रहते थे। इसके अतिरिक्त मुख़्ययरीक़ नामी यहूदी के भी सात बाग़ रसूलुल्लाह (स0अ0) की मिल्कियत में आ गए थे, जो उसने अपनी मृत्यु से पहले आपको भेंट कर दिए थे, यद्यपि उन बाग़ों को रसूलुल्लाह (स0अ0) ने वक़्फ़ कर दिया था।

मुसलमानों का पतन तथा उसके कारण

मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी

आठवीं तथा नवीं सदी ईसवी का समय मुसलमानों के चरम का समय है। इस समय धरती के एक बड़े हिस्से पर उनके दीन व धर्म, उनकी सभ्यता व संस्कृति, उनके ज्ञान व शिल्प तथा उनकी शान व शौकत का सिक्का चलता था। यह वे मुसलमान थे जो दीन व दुनिया के संगम की व्यापकताा का सम्पूर्ण नमूना थे। उनका ख़लीफ़ा तक़वे वाला तथा परहेज़गार, दूरदर्शी शासक तथा एक उच्चकोटि का राजनेता था। उन्होंने एक ऐसे समाज की आधारशिला रखी थी जहां न आत्मिकता तथा भौतिकता में कोई रस्साकशी थी, न धर्म व राजनीति में कोई विरोधाभास, न व्यवहार व गरज़ के बीच कोई झगड़ा, न वर्ग अथवा सम्प्रदाय में आपसी जंग। एक ऐसा समाज था जहां इस्लामी रूह, सभ्यता व संस्कृति के पूरे ढांचे, शासन की पूरी व्यवस्था तथा लोगों की ज़िन्दगी में पाया जाता था।

लेकिन जैसे–जैसे सांसारिक मोह–माया में बढ़ोत्तरी हुई, धार्मिक भावना व ईमानी गर्मी में कमी आती गयी और चारों ख़लीफ़ाओं के बाद सत्ता पर वे लोग क़ाबिज़ हुए जिन्होंने उसके लिए कोई हक़ीक़ी तैयारी नहीं की थी। उनका धार्मिक, आत्मिक तथा व्यवहारिक स्तर इतना श्रेष्ठ न था जो इस्लामी मिल्लत के रहनुमाओं के जैसा होता। उसका परिणाम यह हुआ कि इस्लाम की मज़बूत दीवार में कई दरारें पैदा हो गईं जिनसे लगातार मुसीबतें तथा फ़ित्ने सर उठाते रहे।

ओरिएन्टलिस्ट डी ऑहसन अपनी शैली में लिखता है: "यदि मुहम्मद (स0अ0) के पैरोकार अपने मार्गदर्शक की दिखाई हुई राह पर चलते, और चारों ख़लीफ़ा के उदाहरणों का अनुसरण करते तो उनका साम्राज्य रोमन साम्राज्य से बड़ा तथा स्थायी होता।

आख़िरकार इस्लाम का यह हरा–भरा पेड़ अन्दर से खोखला होता चला गया। इस अन्दरूनी खोखलेपन के ज़ाहिर होने में कुछ समय ज़रूर लगा, यद्यपि दसवीं सदी के दौरान ही यह साफ़ हो गया कि अरब मुसलमान अपने पतन की ओर क़दम बढ़ा चुके हैं। और फिर ग्यारहवीं सदी के दौरान यह पतन अपनी अन्तिम सीमाओं तक पहुंच गया।

पतन के कारण

मुस्लिम शासन की पराकाष्ठा के तीन भिन्न–भिन्न चरण हैं; सत्ता की प्राप्ति, उसकी स्थायित्व तथा उसका फैलाव तथा यह तीनों चीज़ें क्रमवार ईमान की ताक़त, श्रेष्ठ आचार तथा साधनों के प्रयोग से संबंधित हैं। ईमान की ताक़त वह आरम्भ बिन्दु है जिसके बिना व्यवहार व साधन बेअसर हो जाते हैं और इसी ईमान की कमज़ोरी और उसके विभिन्न पहलुओं से गफ़लत मुसलमानों की पस्ती तथा पतन का बुनियादी कारण है। इस कमज़ोरी के विभिन्न कारण हैं जिनको निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:

1– साम्प्रदायिकता

रसूलुल्लाह (स0अ0) ने आख़िरी हज के मौक़े पर चेतावनी भरे स्वर में कहा था: "मेरे बाद काफ़िर न हो जाना कि तुम एक–दूसरे की गर्दनें मारने लगो।"

रसूलुल्लाह (स0अ0) की यह चेतावनी उस सम्प्रदायवाद की ओर भी है जिसने मुसलमानों को एक–दूसरे के ख़ून का प्यासा बना दिया। इस्लामी ख़िलाफ़त की मज़बूत दीवारों में दरार पैदा करके उसे गृहयुद्ध की भेंट चढ़ा दिया। साम्राज्य के टुकड़े–टुकड़े हुए, स्वयंभू रियासतें क़ायम हुईं, मुस्लिम ताक़ते बिख़र गईं और नतीजा मुसलमानों के पतन के रूप में निकला।

इस्लामी हुकूमतों को जिन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा नुक़सान पहुंचाया उनमें से एक इस्लामी भाईचारे के नज़रिये से हटजाना भी है, जो क़बाईली, क्षेत्र तथा नस्ल पर आधारित लड़ाईयों का कारण बना। इस्लाम ने उन सभी बुतों को तोड़ दिया था जिनकी वजह से इन्सानी नस्ल की एकता ख़तरे में पड़ जाती है। नस्ली बरतरी, रंगों का भेद, क्षेत्रवाद, क़बीले व ख़ानदान की श्रेष्ठता, इस्लाम ने इन सभी अन्तरों को केवल पहचान का साधन बनाया है, न कि झगड़ा करने तथा गर्व करने का कारण। इस्लामी दृष्टिकोण से मानवीय एकता तथा आपसी भाईचारे की बुनियाद केवल ईमान है। एक कलिमा पढ़ने वाला दूसरे कलिमा पढ़ने वाले का भाई। इसीलिए मक्का के अबूबक्र (रज़ि0), फ़ारस के सलमान (रज़ि0), रोम के सुहैब (रज़ि0) तथा हब्शा के बिलाल (रज़ि0) सब इस्लामी भाईचारे की लड़ी में पिरोए हुए थे।

जब तक इस्लामी भाईचारगी का यह नमूना पूरी तरह

से ज़िन्दा रहा मुस्लिम उम्मत "शीशा पिलाई हुई दीवार" की भांति मज़बूत रही, लेकिन जब यह नज़रिया कमज़ोर हुआ तथा साम्प्रदायिकता के तत्व इसमें पनपने लगे तो यह उम्मत पतन के मार्ग पर चल पड़ी। इसी साम्प्रदायिकता के कारण मुसलमानों को जितना नुक़सान पहुंचा उतना नुक़सान यहूदी साज़िश ईसाई साधनों से भी नहीं पहुंचा। इस्लामी ख़िलाफ़त की पहली दरार इसी सम्प्रदायवाद की ही देन थी। उस्मान (रज़ि0) के समय में इस्लामी मिल्लत पर पहला हमला इसी रास्ते से किया गया। अब्दुल्लाह इब्ने सबा ईसाई रहा हो या यहूदी एजेन्ट, वह आया तो एक मुसलमान तथा अहलेबैत से मुहब्बत करने वाले के रूप ही में। वह इस्लाम के मुक़ाबले में काफ़िर बनकर नहीं आया था और इस दावे के साथ आया था कि ख़िलाफ़त अहल–ए–बैत का हक़ है, जिस पर दूसरे क़ाबिज़ हैं। यह वह फ़ित्ना था जिसका हज़रत उस्मान (रज़ि0) की मज़लूमाना शहादत के रूप में हुआ। ख़िलाफ़त–ए–उस्मानिया की चूलें हिल गईं। उम्मत की एकता को ज़बरदस्त ढक्का लगा और फिर उम्मत के गिरोह पर गिरोह बटते चले गए।

हज़रत अली मुर्तज़ा के समय में ख़्वारिज सामने आए। यह देखने में इस्लाम के ध्वजवाहक और तक़्वा व परहेज़गारी में अपनेआप में मिसाल थे। अपने अक़ीदे के प्रचार में जान की बाज़ी लगा देना उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इस्लामी उसूलों के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारना अपना सबसे पहला फ़र्ज़ समझते थे, लेकिन उनके ख़ुद के बनाए हुए अक़ीदों और ग़ालियाना तक़श्शुफ़ पसंदी के कारण इस्लामी हुकूमत को जिनता जानी व माली नुक़सान उठाना पड़ा उतना किसी राजनीतिक गिरोह के हाथों नहीं उठाना पड़ा।

बनू उमैया के समय में एक ओर शिया, मरहबा व मोअतज़िला जैसे फ़िरक़ों का उदय हुआ तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से क़बाएली पक्षपात के प्रभाव प्रकट हुए। शासकों ने ज़ाति ग़रज़ों को पूरा करने के लिए पक्षपात का ख़ूब प्रयोग किया। हाकिमों की नियुक्ति में यही भाव कार्यरत रहा। फ़ातह–ए–सिंध मुहम्मद बिन क़ासिम (रह0) इसी पक्षपात की भेंट चढ़े थे। ख़लीफ़ा सुलेमान का हज्जाज के रिश्तेदारों को सज़ाएं देना, यज़ीद द्वितीय का आले मुहलब को ख़त्म करना, वलीद द्वितीय का अब्दुल्लाह कसरी के साथ ज़ालिमाना बर्ताव करना यह सब इसी क़बाएली पक्षपात का नमूना हैं।

अब्बासियों ने बनी उमैया की बिसात उलट दी। फिर पूरे ख़ानदान को मौत के घाट उतार दिया। मुर्दों को क़ब्रों से निकालकर अपमानित किया। बनू फ़ातिमा और अलवियों पर बेतहाशा ज़ुल्म ढाए। ख़लीफ़ा मन्सूर ने नफ़्सुज़्ज़की (रह0) और उनके भाई इब्राहीम (रह0) के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हारून रशीद का रवैया भी अलवियों के साथ कुछ इसी तरह का था। एक तरफ़ अब्बासियों के क़बीलावाद ने उनको कमज़ोर कर दिया तो दूसरी ओर क़रामता और बातनिया ने मुस्लिम हुकूमतों को खोखला कर दिया।

संक्षेप में यह कि शुरूवात ही से साम्प्रदायिकता की बीमारी मुसलमानों में पनपती रही और इस्लामी हुकूमत की बेपनाह ताक़त इसी में नष्ट होती रही। जनता व सत्ता की वह कोशिशें जो इस्लाम के प्रचार में ख़र्च होनी चाहिए थीं वह साम्प्रदायिकता की भेंट चढ़ गईं जिसका परिणाम बग़दाद तथा ग़रनाता के पतन के रूप में सामने आया।

किसी भी युग का अध्ययन किया जाए तो मुसलमानों को खोखला करने वाली चीज़ें साम्प्रदायिकता तथा उसका प्रदर्शन है। ख़ानदानी पक्षपात, क़बीलावाद, क्षेत्रवादी झगड़े तथा रंग व नस्ल का भेद इस्लामी मिल्लत को इस प्रकार खा रहा है जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है। प्रसिद्ध फ़्रांसीसी लेखक डॉक्टर गस्तावली बान का अनुभव बिल्कुल ठीक है कि यही साम्प्रदायिकता मुसलमानों के पतन का आरम्भ बिन्दु साबित हुई:

"यही आपसी लड़ाईयां आपसी मतभेद का कारण बनीं और फिर आपसी असहमति ने उनके पतन की आधारशिला रखी। अरबों की ताक़तें इससे पहले कि उनपर दुश्मनों का दबाव पड़े ख़ुद उनके अपने हाथों नष्ट व बर्बाद हो गईं थीं।"

ज़िल्लत व अपमान के इस दौर में भी इस्लामी मिल्लत की कोशिशों का निन्यानवे प्रतिशत इसी फ़िरक़ापरस्ती की भेंट चढ़ रहा है। इस्लाम के नाम पर की जाने वाली कोशिशों का वास्तविक केन्द्र किसी ख़ास फ़िरक़े के प्रचार–प्रसार से बढ़ कर कुछ नहीं है। इसी चीज़ ने मुसलमानों को अर्श से फ़र्श पर ला दिया था और आज भी इस दलदल से न निकल सकने की एक बुनियादी वजह यही फ़िरक़ा परस्ती है।

सच बोलना

सच्ची बात ज़बान से कहना सबसे बड़ी ख़ूबी और इन्सानियत का कमाल है। वे लोग इज़्ज़त व सम्मान के लायक़ हैं जो हर हाल में सच बोलते हैं, चाहे उनके लिए फ़ायदेमन्द हो या नुक़सानदेह। सच बोलने ही में नजात है और सच न बोलने में बर्बादी व तबाही।

रसूलुल्लाह (स0अ0) ने इरशाद फ़रमायाः

"सच बोलने को ज़रूरी समझो, बेशक सच बोलना नजात देता है और झूठ बोलना हलाक करता है।"

बात बनाने और झूठ बोलने से वक़्ती तौर पर छुटकारा मिल जाता है, मगर अंजाम अच्छा नहीं होता। इसी तरह सच बोलने से चाहे कुछ देर के लिए परेशानी में पड़ जाए मगर आख़िर में अंजाम बेहतर होता है।

इस सिलसिले की एक अहम घटना हमारे आपके लिए बन सकता है। रसूलुल्लाह (स0अ0) ने जब ग़ज़्वा–ए–तबूक में शामिल होने का हुक्म दिया और ऐसे सख़्त मौसम में दिया कि खजूर पक रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे मौसम में जितने ईमान वाले लोग थे, सब अच्छी पकी खेती और आराम व राहत के हर सामान को छोड़कर ग़ज़्वे में शामिल हुए। सिर्फ़ मुनाफ़िक़ लोग रह गए या तीन ऐसे सहाबी (रज़ि0) जिनके ईमान व यक़ीन और रसूलुल्लाह (स0अ0) से मुहब्बत पर शक नहीं किया जा सकता। उन तीन सहाबियों में हज़रत काब बिन मालिक (रज़ि0) थे, जिनका ईमान बड़ा मज़बूत और रसूलुल्लाह (स0अ0) से मुहब्बत बहुत ज़्यादा थी। वह आज–कल के ख़्याल में रह गए और हुज़ूर (स0अ0) ग़ज़्वे में तश्रीफ़ ले आए। जितने मुनाफ़िक़ थे वह आकर झूठ बोलते रहे और वजहें बताते रहें। रसूलुल्लाह (स0अ0) ने वजहें सुनी और सबको छोड़ दिया। वह अपनी बनावटी और झूठी–सच्ची दलीलों से ग़लत वजहें बताकर छुटकारा पाकर बहुत ख़ुश हुए। हज़रत काब (रज़ि0) की बारी आई तो उन्होंने पूरी सच्चाई का सुबूत दिया। सही–सही बात बताई तो आप (स0अ0) ने नाराज़गी का इज़हार किया। वह मजलिस से उठे तो मुनाफ़िक़ों ने समझाया कि तुम ऐसे बहाने करो, जैसे हमने किए तो छूट जाओगे। हज़रत काब (रज़ि0) ने इनकार कर दिया और सच्चाई पर डटे रहे। फिर सिर्फ़ यही नहीं हुआ कि बात ख़त्म हो गई। हज़रत काब (रज़ि0) आज़माइश के दौर से गुज़रे, मगर आज़माइश की पूरी मुद्दत में झूठ बोलने या बहाना करने का इरादा तक नहीं किया। कठिन दौर से गुज़रे। आख़िर वह समय आया कि वे अल्लाह की तरफ़ से छोड़ दिए गए और उनकी सच्चाई पर बड़ी बशारत दी गई। रसूलुल्लाह (स0अ0) उनसे इतने ख़ुश हुए कि मुस्करा दिये और उनकी मुहब्बत, इश्क़, ईमान व यक़ीन और सच्चाई ने उनको ऐसे बुलन्द मक़ाम तक पहुंचा दिया कि कम लोग ऐसे मक़ाम तक पहुंचते हैं।

मौलाना मुहम्मद सानी हसनी रह0

R.N.I. No.
UPHIN/2009/30527

Monthly
ARAFAT KIRAN
Raebareli

Postal Reg. No.
RBL/NP -19

Issue: 07 JULY 2019 Volume: 11

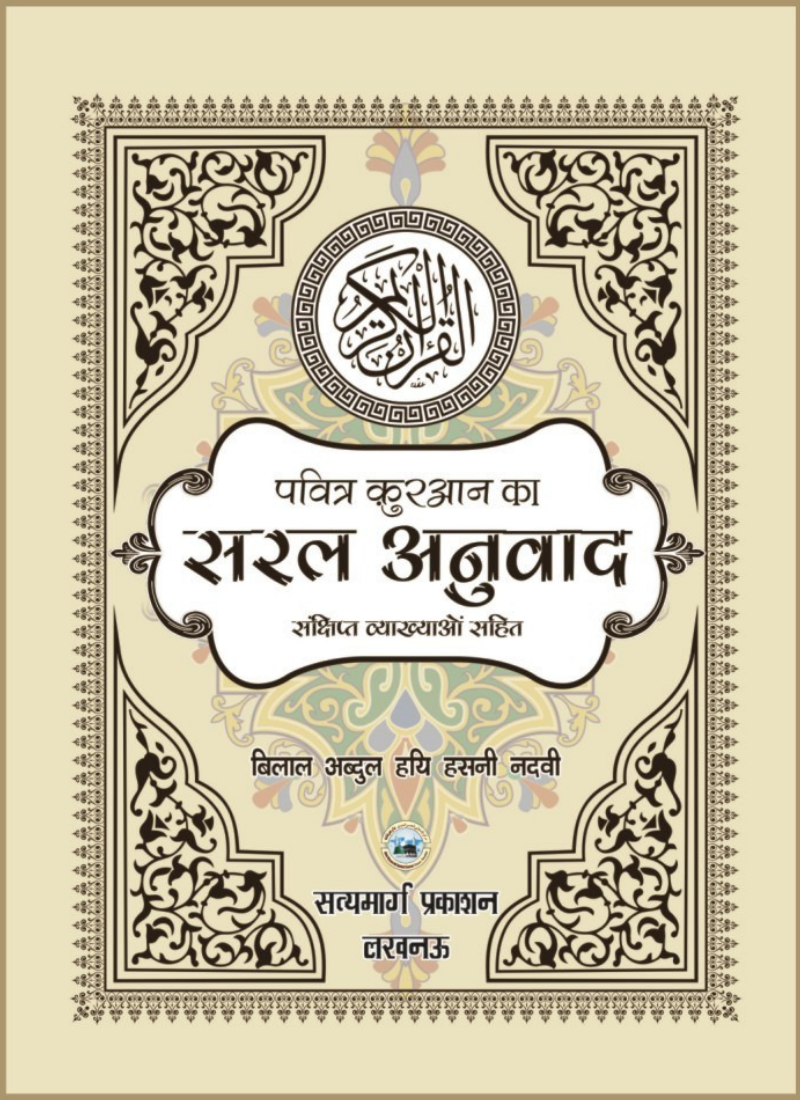

Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi
MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI
Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.
Mobile:9565271812
E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalinadwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche,Phatak
Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.